SACHCHA RAHI • ISSN 2582-4007 • VOL 21 • ISSUE 04 • JUNE 2022

हिन्दी मासिक

जून 2022

सच्चा राही

लखनऊ

सामाजिक एवं साहित्यिक

हज

हज का ज़माना ईमान व यक़ीन की आ़ला यादगार का ज़माना है, उसमें ईमान वालों के लिए बड़ा सबक़ है कि वह अपनी जान व माल की ख़ुवाहिश को अपने रब की रज़ा तलबी में किस तरह दबायें और अपने रब की इताअ़त में अपनी राहत और अपनी ख़ुवाहिश को किस तरह क़ाबू में करें।

हज़रत मौलाना सय्यद मोहम्मद राबे हसनी नदवी

एक प्रति ₹ 30/=

वार्षिक ₹ 300/=

सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै० मुहम्मद राबे हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि
एक प्रति ₹ 30/-
वार्षिक ₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ
SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007

जून, 2022 वर्ष 21 अंक 04

समाज की स्थापना

समाज की स्थापना एक स्वाभाविक आवश्यकता है जिससे छुटकारा संभव नहीं, एक इन्सान तनहा और बिला किसी दूसरे की मदद और सहयोग के आराम दायक और अच्छी ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकता, उसको अपनी ज़िन्दगी को आसान और व्यवहारिक बनाने के लिये आपसी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है।

(हज़रत मौलाना सै० मु० राबे हसनी नदवी)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
ह़ज की तैयारी	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
मानव समाज और शिक्षा	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	12
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	14
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैय्यद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	16
ह़ज की फ़रज़ीयत	हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी	19
ह़ज के मुसाफ़िर	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी रह0	20
पर्दा	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	23
बहार लौट आई	जमाल अहमद नदवी	24
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	26
कुर्बानी के मसायल	इदारा	28
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	30
एहराम की हालत में जो चीज़ें मना हैं	इदारा	33
हिजाब	अरशद अली नदवी	34
उच्च न्यायाधीश को सलाम	वदूद साजिद	38
मोबाईल की आप बीती	हादिया जुनैद	40
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अपील बराए तामीर स्टॉफ क्वाटर्स	इदारा	42

क़ुअनि की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-तौबाः-

अनुवाद–

वे तुम्हें राज़ी करने के लिए अल्लाह की कस्में खाते हैं जब कि अल्लाह और उसके पैग़म्बर अधिक हक़दार हैं कि वे उसको राज़ी करें अगर वे ईमान रखते हों[1](62) क्या तुम्हें पता नहीं कि जो भी अल्लाह और उसके पैग़म्बर के मुक़ाबले पर आएगा तो उसके लिए दोज़ख़ की आग है उसी में सदैव रहेगा यही बड़ा अपमान है(63) मुनाफ़िक़ डरते हैं कि उन पर कोई ऐसी सूरह न उतर आए जो उनके लिद की बातें उनके सामने खोल दे, कह दीजिए कि तुम ठट्ठा करते रहो और अल्लाह उस चीज़ को खोलने वाला है जिसका तुम्हें धड़का लगा हुआ है(64) और अगर आप उनसे पूछें तो यही कहेंगे कि हम तो गप शप में और खेल में लगे हुए थे, पूछिए कि क्या तुम अल्लाह और उसकी आयतों और उसके पैग़म्बर का मज़ाक़ बना रहे थे[2](65) बहाने मत बनाओ ईमान लाने के बाद तुमने कुफ़्र किया, अगर हम तुम में एक गिरोह को माफ़ भी कर देंगे तो दूसरे गिरोह को सज़ा देंगे इसलिए कि वे अपराधी लोग हैं[3](66) मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें सब एक ही हैं, बुराई सिखाते हैं और भलाई से रोकते हैं और अपने हाथों को बन्द रखते हैं, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनको भुला दिया निःसंदेह मुनाफिक़ ही अवज्ञाकारी हैं(67) अल्लाह ने मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औरतों और इनकार करने वालों के लिए दोज़ख़ की आग का वादा कर रखा है, वे हमेशा उसी में पड़े रहेंगे वही उनके लिए काफी है और उन पर अल्लाह का धिक्कार (लानत) है और उनके लिए न टलने वाला अज़ाब है(68) उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले हुए वे तुम से ज़्यादा बलवान थे और माल व संतान में भी तुमसे बढ़ कर थे तो उन्होंने अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया तो जिस तरह उन्होंने अपने हिस्से से फायदा उठाया तुमने भी अपने हिस्से से फायदा उठाया, और जहाँ उन्होंने क़दम रखा तुमने भी वहीं कदम रखा, वही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया व आख़िरत में बेकार गये और वही लोग घाटे में रहे[4](69) क्या उनको पहले वालों की ख़बर नहीं पहुँची, नूह की क़ौम और आद व समूद की और इब्राहीम की क़ौम और मदयन वालों की और उलटी बस्तियों की[5] उनके पास हमारे पैग़म्बर खुली निशानियाँ ले कर आए तो अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया लेकिन वे खुद ही अपने ऊपर अत्याचार करते रहे(70) और ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के सहायक हैं वे भलाई

सिखाते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज़ कायम रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके पैग़म्बर का आज्ञापालन करते हैं यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की कृपा होने वाली है निःसंदह अल्लाह ज़बर्दस्त है हिकमत वाला है(71) अल्लाह तआला ने ईमान लाने वाले मर्दों और औरतों से ऐसी जन्नतों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें होंगी हमेशा के लिए उसी में रह पड़ेंगे और हमेशा रहने वाली जन्नतों में अच्छे अच्छे मकानों का, और अल्लाह की प्रसन्नता सबसे बढ़ कर है यही बड़ी सफलता है[6](72)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. कभी उनकी धोखे बाज़ी पकड़ी जाती है तो मुसलमानों के पास जा कर कस्में खाते हैं कि हमारी नियत बुरी न थी, कहा जा रहा है कि अगर ईमान के दावे में सच्चे हैं तो अल्लाह और उसके पैग़म्बर को छोड़ कर दूसरों की खुशी प्राप्त करने की चिन्ता में क्यों लगे हो।

2. तबूक युद्ध के अवसर पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का भी मज़ाक उड़ाया था और सहाबा को भी कहा कि यह जंग को खेल समझते हैं, कल सब रूमियों के दरबार में जंजीरों और हथकड़ियों में जकड़े खड़े होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि हम यह धारणा थोड़ी ही रखते थे, दिल बहलाने के लिए ऐसी बातें कर लिया करते थे कि रास्ता कट जाए, यह सब बातें करते थे और डरते भी थे कि अभी कोई आयत ऐसी न उतरे जिससे वास्तविकता खुल जाए, अल्लाह कहता है कि उनकी वास्तविकता ,खुलने वाली है, फिर अगली आयतों में खुल कर मुनाफिकों की बुराई का वर्णन और फिर काफिरों के साथ उनके दोज़ख में जाने की धमकी का उल्लेख है जिन का काम ही तितर बितर करना अन्दर से मुसलमानों की जड़ काटना और धन बटोरना है।

3. झूठे बहाने करने से कुछ नहीं होगा जो तौबा करले तो वह बचेगा या जो मज़ाक से दूर रहेगा तो वह भी शायद दुनिया में बच जाए बाकी सब पकड़े जाएंगे।

4. यानी तुम भी उन्हीं की तरह आख़िरत के परिणाम से अचेत हो कर दुनिया के साधन से जितना भाग्य में लिखा हुआ है पा रहे हो और सारी चाल ढाल उन्हीं की तरह रखते हो तो समझ लो कि वे तुम से बलवान हो कर न बच सके तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा।

5. इन सब का उल्लेख सूरः आअ्राफ़ में हो चुका है सिवाय इब्राहीम के अल्लाह ने विचित्र शैली में उनकी मदद की जिसे देख कर उनकी क़ौम अपमानित और असफल हुई और नमरूद बदहाली की मौत मारा गया।

6. रूकूअ़ के आरम्भ से मुनाफिक़ों के हालात बयान हुए और उनके मुकाबले ईमान वालों का उल्लेख किया जा रहा है और उनके गुणों का बयान हो रहा है और उस पर जो अल्लाह के वादे और उसकी प्रसन्नता मिलने वाली है उसका वर्णन किया जा रहा है।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

ईमान की मिठास के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं:–

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया– जिस आदमी के अन्दर तीन बातें होंगी उसको ईमान की मिठास नसीब होगी।

1. अल्लाह और उसके रसूल अन्य से ज़ियादा महबूब हों।
2. वह किसी से महब्बत करे तो अल्लाह के लिए करे।
3. वह कुफ़्र (अल्लाह की नाफरमानी और इस्लाम लाने से पहले की अवस्था) की तरफ़ दोबारा लौटना उतना ही नापसन्द करे जितना कि आग में डाले जाने को नापसन्द करता है। (बुखारी–मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल की महब्बत सब पर हावी होनी चाहिए:–

हज़रत अनस रज़ि0 ही की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई आदमी उस समय तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मेरी महब्बत बाल–बच्चों, माल व दौलत और तमाम लोगों की महब्बत से बढ़ कर न हो जाए।

(मुस्लिम)

हज़रत अनस रज़ि0 से ही एक हदीस बयान की गई है कि हुजूर सल्ल0 ने फरमाया– तुम में से कोई आदमी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब की मैं उसके बाप, लड़के और तमाम लोगों से ज़ियादा उसके लिए महबूब न हो जाऊँ। (बुखारी)

जो जिससे महब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा:–

हज़रत अनस रज़ि0 से एक और रिवायत है, फरमाया– एक ऐराबी (देहाती) ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा क़यामत कब आएगी? आप सल्ल0 ने फरमाया– तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? उस ऐराबी ने कहा– अल्लाह और रसूल की महब्बत, (जवाब में) हुजूर सल्ल0 ने फरमाया– तुम जिससे महब्बत करते हो उसी के साथ होगे, इस पर हज़रत अनस रज़ि0 फरमाते हैं– मैं अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करता हूँ, मुझे (खुदा से) उम्मीद है कि उन्हीं लोगों के साथ हूँगा, चाहे उनके जैसे काम न कर सकूँ। (मुस्लिम)

एक और हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास एक आदमी आया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी! ऐसे आदमी के बारे में आप क्या फरमाते हैं जिसने लोगों से महब्बत की, लेकिन उनके मतर्बे को नहीं पहुंच सके? आप सल्ल0 ने फरमाया– मोमिन (ईमान वाला) जिसको चाहता है उसी के साथ होगा।

(मुस्लिम)

किसी वली (अल्लाह वाले) से नफ़रत और दुश्मनी के खिलाफ़ अल्लाह तआला का ऐलाने जंग:–

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया– जो मेरे वली (दोस्त) से दुश्मनी रखेगा, मैंने उससे लड़ाई का ऐलान कर

दिया, मेरे बन्दों का फराइज़ से नज़दीकी हासिल करना जिस तरह मुझे महबूब है उस तरह किसी नेकी से नज़दीकी मुझे महबूब नहीं, मेरा बन्दा नवाफिल द्वारा मुझ से क़रीब होता है यहाँ तक कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे चलता है, (अर्थात वह हर काम मेरी ही खुशी के लिए करता है तो मैं हर काम में उसकी मदद करता हूँ) और अगर वह मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसको ज़रूर पनाह देता हूँ। (बुखारी)

1. अल्लाह के वली की सबसे बड़ी पहचान जो इस हदीस से मालूम हुई वह फराइज़ (धर्म इस्लाम में जिन आदेशों पर अमल करना अनिवार्य है जैसे रोज़ा, नमाज़, हज, ज़कात आदि, उसकी पूरी पाबन्दी, नवाफिल का ख्याल, जमाअत के साथ नमाज़, दूसरी इबादतें और वाजिब हुकूक़ (अधिकार) की अदायगी, और नेकी, अच्छे कामों में पहल करना जैसा कि रसूलुल्लाह सल्ल0 का खुद अमल था) यह सब अल्लाह वालों की बड़ी–बड़ी पहचान हैं।

2. नवाफिल– जिनका करना अनिवार्य तो नहीं है परन्तु कर लेने को अच्छा समझा गया हो, और अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने उनकी पाबन्दी की हो। जैसे जमाअत के साथ नमाज़, फर्ज़ नमाज़ों के बाद नफल नमाज़ें, अतिरिक्त रोज़े, अतिरिक्त सद्के, अच्छे–अच्छे कर्म, भलाई का आदेश, बुराई से रोकना, माँ–बाप की सेवा, अपने ऊपर जिनके हुकूक (अधिकार) वाजिब हैं उनको अदा करना आदि।

अहले बैत की महब्बत ईमान की निशानी है:–

हज़रत जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 (मक्का और मदीना के बीच) ''खुम'' नाम के तालाब (गदीरे खुम) के पास खड़े हो कर खुत्ब: दे रहे थे, आपने अल्लाह की तारीफ और लोगों को नसीहत करने के बाद फरमाया: मैं भी एक आदमी हूँ, करीब है कि मेरे रब का क़ासिद मेरे पास आए और मैं उसको कुबूल करूँ (और इस दुनिया से विदा हो जाऊँ) मैं तुममें दो महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़ रहा हूँ, उनमें पहली चीज़ अल्लाह की किताब (कुर्आन मजीद) है जिसमें हिदायत और नूर (मार्ग दर्शन और ज्योति) है। बस तुम अल्लाह की किताब लो और इसको मज़बूती से पकड़ो, फिर अल्लाह की किताब की ओर प्रेरित करते हुए कहा: मेरे घर वाले! मैं तुमको इनके बारे में अल्लाह को याद दिलाता हूँ।

व्याख्या– इस हदीस में अहले बैत की श्रेष्ठता और महत्व मालूम होता है और इससे यह भी मालूम होता है कि पूरी उम्मत को अहले बैत से महब्बत होनी चाहिए (मुन्तहल अफ्कार) और दूसरी हदीसों से मालूम होता है कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत हैं, जिनकी पुष्टि कुर्आन मजीद की आयात से भी होती है, इस हदीस के शब्द से दूसरी चीज़ का अहले बैत होना साबित नहीं होता, बल्कि हदीस शरीफ के शब्द से यह मालूम होता है कि अधिकार की ओर ध्यान दिलाना मकसद है, ताकि उनकी हक–तल्फी न हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सम्बन्ध की वजह से जो अधिकार हैं उनको निभाए जाएं। (विस्तार के लिए देखें–

शेष पृष्ठ..13...पर

सम्पादकीय

हज की तैयारी

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

अल्लाह तआला ने इन्सान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया जिसको उसने स्पष्ट रूप में अपनी किताब कुर्आन शरीफ़ में बता दिया, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, यह सब इबादत की शकलें हैं, नमाज़ 24 घण्टे में पाँच बार पढ़ी जाती है, ज़कात साल भर में एक बार अदा की जाती है, रोज़ा रमज़ान के महीने में एक माह रखा जाता है, हज पूरी ज़िन्दगी में केवल एक बार अदा किया जाता है। जिस काम को एक बार करने का हुक्म हो उसको पूर्ण रूप और उचित ढंग से अदा करने में कितनी होशयारी और समझदारी की ज़रूरत है, हज नियुक्त समय पर और नियुक्त जगह पर होता है, न समय बदल सकता है और न जगह बदल सकती है, नमाज़ और रोज़ा यह दोनों बदनी इबादतें हैं, ज़कात केवल माली इबादत है, परन्तु हज ऐसी इबादत है जो बदनी और माली दोनों हैं, हज का ज़माना इस्लामी कलेण्डर का बारहवाँ महीना ज़िलहिज्जा है, इसके अरकान की अदाएगी मक्का मुअज्ज़मा और उसके आस पास की जगहों, मिना, मुज़दलफ़ा और अरफ़ात हैं, यह हज के अरकान 8 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक अदा किये जाते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए निम्नलिखित किताबें पढ़ीं जा सकती हैंः–

1. आप हज कैसे करें– मौलाना मनजूर नोमानी साहब रह0।
2. हज और मुक़ामाते हज– मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी।
3. हज और मसाएले हज– मुफ़्ती आशिक़ इलाही बुलन्दशहरी रह0।

हज के सिलसिले में बहुत से अहकाम हैं जिनकी तफ़्सील आपको किताबों में मिल जाएगी, दो बातों का ध्यान रखें, बग़ैर एहराम के मीक़ात के आगे न बढ़ें, एहराम बाँधने के बाद तलबिया के क़लिमात का विर्द ज़बान पर जारी रहे ''तलबिया के कलिमात निम्नलिखित हैंः–

''लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन–नेमता लक वलमुल्क ला शरीक लक''

अनुवादः– मैं हाज़िर हूं ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं मैं हाजिर हूं तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूं, बेशक तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरी ही हैं, और बादशाहत भी तेरी, तेरा कोई शरीक नहीं।

सफ़र शुरु करने से पहले ज़रूरी कामः–

अपने तमाम छोटे–बड़े गुनाह जो अपनी ज़िन्दगी में किये हैं, अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, और आइन्दा उन गुनाहों के न करने का अल्लाह से वादा करें, अगर अल्लाह के हुक़ूक़ (नमाज़, रोज़ा) में कोताही हो गई तो उसकी क़ज़ा करें किसी आदमी का कोई माली हक़ आपके ज़िम्मे हो तो उसको अदा करें या माफ़ कराएं और अगर गाली दी है या मारा है या ग़ीबत की है तो उसको भी साहिबे हक़ से माफ़ कराएं, अपने हक माफ़

कराने और अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से रुख़सत होने और उनसे दुआ की दरख़्वास्त करने के लिए ख़ुद उनके घर जाएं और जब हाजी हज से वापस आए तो वह लोग उससे मिलने और दुआ कराने आएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ''जो शख़्स हज का इरादा रखता हो उसको जल्दी करना चाहिए'' और फ़रमाया ''जिस शख़्स को किसी ज़रूरी हाजत या सख़्त बीमारी या ज़ालिम बादशाह ने नहीं रोका और वह बिना हज किये मर गया तो उसकी मर्ज़ी जो चाहे करे, यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर'' अल्लाह तआला के नज़दीक हज का न करना कुफ़्र की तरह की बात है और हदीस शरीफ़ से खुला इशारा मिलता है कि हज का न करना गोया इस्लाम से रिश्ता नाता तोड़ देना या इस्लाम से अलग हो जाना है। अल्लाह और उसके रसूल के इन आदेशों के बाद किसी मुसलमान के लिए हज न करना और उसकी अदाएगी में सुस्ती और कोताही करने की क्या गुन्जाइश रह जाती है, बहुत डरने की बात है। हज की इस्तिताअत होते हुए किसी भी मुसलमान के लिए उचित नहीं कि उसकी अदाइगी में देरी करे, क्योंकि ख़ुदा न ख़्वास्ता अगर हज न कर सका तो क़ियामत में अल्लाह तआला के यहाँ उसका कितना अफ़सोसनाक मुकाम होगा।

हज की फ़ज़ीलतः—

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जिस शख़्स ने सिर्फ़ अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी के लिए हज किया और उसमें कामवासना, बेहूदा बातों और गुनाहों से बचा रहा तो वह ऐसा पाक हो कर लौटता है जैसा कि वह पैदा होने के वक़्त बेगुनाह था''।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना कि जो हाजी सवार हो कर हज करता है उसके हर क़दम पर सात सौ नेकियां हरम की नेकियों में लिखी जाती हैं। हज़रत बुरैदा रज़ि0 फ़रमाते हैं कि ''हज में ख़र्च करने का सवाब जिहाद में ख़र्च करने के सवाब के बराबर है''।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया ''एक उमरा दूसरे उमरे तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दोनों उमरों के बीच हों, और हज मबरूर का बदला सिर्फ़ जन्नत है।''

उमरा और हज का फ़र्कः—

उमरा छोटा हज है इसलिए उसको हज असग़र भी कहा जाता है, उमरा और हज में फ़र्क़ यह है कि हज में जितनी शर्तें हैं और वह जितनी तफ़सील से ज़रूरी हैं उतनी उमरा में नहीं हैं, उमरा साल में किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके अलावा उमरा उन चार पाँच दिनों में जिनमें हज का वक़्त नियुक्त है, उसको छोड़ कर कभी भी किया जा सकता है। हज केवल अपने निश्चित दिनों में ही किया जाता है। उमरा में मिना, मुज़दल्फ़ा, अरफ़ात जाने और वहाँ के सारे फ़राएज़ अदा करने की ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई है, उसमें केवल ''तवाफ़'' और ''सई'' काफ़ी क़रार दी गई है, जब कि हज में उन मज़कूरह जगहों पर जाना और वहां के

आमाल का अदा करना ज़रूरी है और अरफ़ात की हाज़िरी के बिना तो हज होता ही नहीं।

ह़ज मबरूरः—

वह हज है जिसमें कोई गुनाह न हो, उलमा कहते हैं कि अल्लाह के यहां मक़बूल हज ही का नाम हज मबरूर है, बाज़ उलमा कहते हैं कि जिसमें नाम व नमूद और दिखावा न हो वह ह़ज मबरूर है, बहर हाल हज की जो बेहतरीन और ऊँची क़िस्म हो सकती है वह हज मबरूर है, हर मुसलमान को दुआ और कोशिश करनी चाहिए कि उसको अल्लाह तआला हज मबरूर की सआदत अता फ़रमाए।

आमीन।

ह़ज की अदाइगी कब सही है?:—

1. सही यह है कि हज की शार्तें पाई जाएं तो बिना देरी के हज करना चाहिए, दूसरे साल पर उठा रखना अच्छा नहीं है।

2. नाजाएज़ माल से हज करना हराम है।

3. किसी के माँ—बाप उसकी ख़िदमत के मुहताज हों या किसी का कर्ज़ा उसके ज़िम्मे हो और उसके पास माल न हो या किसी की अमानत हो तो इन सब सूरतों में माँ—बाप से या कर्ज़ख़्वाह से या जिसकी अमानत ली हो उससे इजाज़त तलब करना ज़रूरी है, बिना इजाज़त हज करना मकरूह तहरीमी है। लेकिन जिसके माँ—बाप ख़िदमत के मुहताज न हों, उसको इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, ले ले तो अच्छा है।

4. औरत हज को जाए तो ज़रूरी है कि साथ में शौहर या महरम यानी कोई ऐसा आदमी हो जिससे उसका निकाह दुरुस्त न हो, जैसे बाप, चचा, भाई, बेटा या दूध शरीक भाई या ससुर वग़ैरह, ऐसे किसी के साथ के बिना सफ़र करना जाएज़ नहीं है, अगर करेगी तो गुनहगार होगी।

मदीना मुनव्वरह की हाज़िरीः—

नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत तमाम उलमा की राय के अनुसार अल्लाह से क़रीब होने का ज़रिया और अफज़ल तआत में है और तरक़्क़ी दरजात के लिए कामयाब तरीन वसीला है।

ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़ियारत की तरग़ीब दी है, और बावजूद कुदरत के ज़ियारत न करने वालों को बे मुरव्वत और ज़ालिम फ़रमाया है, ख़ुश नसीब है वह शख़्स जिसको इस दौलत से नवाज़ा जाए और बद बख़्त है वह शख़्स कि बावजूद कुदरत और ताक़त के इस बड़ी नेमत से महरूम रह जाये।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स इरादे के साथ मेरी ज़ियारत करेगा, क़यामत के दिन वह मेरे पड़ोस में होगा।

(मिश्कात)

जिसने हज किया फिर मेरी क़ब्र की ज़ियारत मेरे मरने के बाद की तो गोया उसने मेरी ज़िन्दगी में मेरी ज़ियारत की।

(मिश्कात पेज—233)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दरबार की हाज़िरी बड़ी सआदत है, हुजूर सल्ल0 का इरशाद है, ''जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसकी शफ़ाअत मुझ पर वाजिब हो गई'' और फ़रमाया ''जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत न की उसने मेरे साथ ग़ैरियत बरती''।

❖❖❖

मानव समाज और शिक्षा

हज़रत मौलाना सै0 मु0 राबे हसनी नदवी

समाज इन्सानों के उस समूह का नाम है जो पारस्परिक सम्बन्ध की बुन्याद पर ज़िन्दगी के विभिन्न पहलुओं में समान भाषा के साथ सक्रिय होता है, समाज की स्थापना एक प्राकृतिक आवश्यकता है जिससे छुटकारा सम्भव नहीं, क्योंकि एक इन्सान अकेला बिना किसी दूसरे की सहायता और सहयोग के एक अच्छी और आरामदेह ज़िन्दगी नहीं गुज़ार सकता, उसको अपनी ज़िन्दगी आसान और सरल बनाने के लिए आपस में एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उदाहरणतः खाने ही को लीजिए, यह रोटी जो हम खाते हैं उसके बनाने के लिए कितने हाथों और कितने इन्सानों की मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन जोतने वाला किसान, और हल बनाने वाला इन्सान जिससे किसान खेत जोतता है, फिर ग़ल्ले को आटा बनाने के लिए सिल या चक्की बनाने वाला इन्सान, फिर उसको बाज़ार में लाने और बेचने वाला इन्सान, फिर लकड़ी और आग उपलब्ध कराने वाला इन्सान, इन सब की सहायता और सहयोग के बाद खाने वाले इन्सान की रोटी तैयार होती है। इसी प्रकार लिबास वस्त्र, मकान और ज़िन्दगी की दूसरी आवश्यकताएं, जिसकी सूची मानव जीवन की विशालता और संकीर्णता के लिहाज़ से लम्बी और छोटी होती है इसी प्रकार के साधनों और सम्बन्धों की आवश्यकता होती है, एक दूसरे की सहायता और एकता से मानव समाज बनता है जो ज़िन्दगी को लाभदायक विधियों के अनुकूल ढालता है और अपने इर्दगिर्द की सुहूलत और साधनों से आवश्यकतानुसार लाभ उठाता है।

शिक्षा कर्मः—

फिर इन्सान अपनी ज़िन्दगी के सहयोग और फ़ाइदे और अनुभव से प्राप्त सफलताओं को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बाकी रखना चाहता है ताकि परिश्रम और अनुभव के बाद उस काम से सन्तुष्ट हो सकें जो सम्पन्न हो चुका है और अनुभव की प्राप्ति और मालूमात के अमल को उसके आगे अन्जाम दे सकें, इसी के लिए इन्सानों में सिखाने और तालीम देने का अमल इख़्तियार किया जाता है जो वास्तव में पालन पोषण का एक अमल है जो एक इन्सान दूसरे इन्सान के साथ एक निश्चित रुचि के लिहाज़ से अन्जाम देते हैं।

अनियमित ढंग से शिक्षाः—

हम को इतिहास का अध्ययन बताता है कि समाज के समाज बनने के बाद ही से सीखने और सिखाने का यह अमल शुरु होता है, चुनांचि योग्य और अनुभवी, काम करने वालों को उनके समाज के छोटी उम्र और अनभिज्ञ लोग देख—देख कर उनकी योग्यता और अनुभव और कार्यपद्धति का कुछ न कुछ हिस्सा, किसी न किसी सीमा तक स्वयं या इरादे से हासिल कर लिया करते हैं उसको सीखने या अपनाने के लिए केवल सामान्य इन्सानी बुद्धि का प्रयोग काफ़ी हो जाता है, यह इन्सानी बुद्धि हर समय इन्सान के साथ रहती और काम करती रहती है, घर में बच्चे अपनी माँ को अपने बाप को विभिन्न प्रकार के काम करते देखते हैं, इसके अलावा उनके माता पिता या बड़े बूढ़े अपने छोटों और अनभिज्ञ लोगों को

कुछ ऐसे पहलुओं की ओर जो गुप्त महसूस होते हैं आकृष्ट करते हैं और इस प्रकार ख़ुद बख़ुद सीखने सिखाने का अमल ज़ारी हो जाता है और यही वास्तव में अनियमित शिक्षा की एक सूरत है।

शिक्षा अनियमित से नियमित कैसे बनीः—

फिर यही अनियमित शिक्षा प्रणाली, नियमित शिक्षा की आधार और बुन्याद बनती है और वह इस प्रकार कि मानव समाज में हुनर और काम जैसे जैसे फैलते जाते हैं वैसे वैसे ज़रूरत महसूस की जाती है कि नई उम्र और अनभिज्ञ लोगों को बताने और सिखाने की ओर ध्यान दिया जाये और विशेष रहनुमाई की जाये, इसी से नियमित शिक्षा की व्यवस्था वजूद में आई है।

नियमित शिक्षा का आरम्भः—

नियमित शिक्षा के प्रारम्भ को यदि गहरी नज़र से देखा जाये तो यह पता चलता है कि शिक्षा नियमित रूप का आरम्भ इबादतगाहों, मस्जिदों और धार्मिक क्षेत्रों से हुआ है। यह वह समय होता था कि जब लिखने पढ़ने के रिवाज के होने न होने के अलावा इबादत खानों की देख भाल करने वालों, दीनी व अख़लाक़ी काम करने वालों दअ़वत व इस्लाह के ज़िम्मेदार अपने अपने समाज में दीनी और इस्लाही मालूमात व तालीमात पेश करते और अपने अपने लोगों को उन बातों की जानकारी देते थे, अगरचि उन्हें मदरसा और स्कूल की निश्चित व्यवस्था के अनुकूल शिक्षा नहीं मिली, लेकिन फिर भी शिक्षा का पूरा लाभ उठाते रहे, वअ़ज़ व नसीहत की मजलिसों और किताबों की मदद से अध्यापक शिक्षा का काम पूरा करते रहे, और उन्नति करते रहे, मुसलमानों के यहाँ शिक्षा का आरम्भ सुफ़्फ़ए नबवी से हुआ, फिर दीनी शिक्षा के केन्द्रों से विस्तार और उन्नति हुई, मराकश के शहर ''फ़ारस'' में जामे क़रवीन और त्योनिस में जामे ज़ैतूना, और क़ाहिरा में जामे अज़हर, जिनमें हर एक की तारीख़ हज़ार साल से ज़ियादा है। सब मस्जिदें हैं जिनमें दीनी तालीम शुरु की गई और उसी से महान ऐतिहासिक यूनिवर्सिटियाँ बनीं, इंगलिस्तान में ऑक्सफ़ोर्ड, कैमरिज, फ्रांस में ''सोरबोन'' यूनिवर्सिटी, सब गिरजों के मदरसों से शुरु हुईं और आज वह विश्व स्तर की यूनिवर्सिटियाँ हैं।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें....

शरहे हदीस सकलैन— मौलाना अब्दुश्शकूर लखनवी, तरजुमानुस्सुन्नह, जिल्द अव्वल— मौलाना बदरे आलम मेरठी, तुहफ—ए—इसना अशरिया— हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रह0।)

अहले बैत की श्रेष्ठताः—

हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर निकले, आप सल्ल0 काले बालों से बनी चादर ओढ़े हुए थे, इतने में हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, आपने उनको चादर में ले लिया, फिर. रत हुसैन रज़ि0 आये, वह भी हज़रत हसन के साथ चादर में आ गए, (थोड़ी ही देर में) हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आ गईं, उनको भी आप सल्ल0 ने चादर में कर लिया, इतने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी आए, उनको भी आपने उसी चादर में ले लिया, उसके बाद आप सल्ल0 ने फरमायाः

अनुवादः— (ऐ अहलेबैत् अल्लाह तआला चाहता है कि तुम से गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक (पवित्र) कर दे।

❖❖❖

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

ज़ब्ह व कुर्बानी :–

ये अमल भी खालिस अल्लाह के लिए है अगर जब्ह व कुर्बानी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की खुशी और नज़दीकी हासिल करने के लिए की जाएगी तो ये अमल शिर्क होगा, अल्लाह का इरशाद है:

अनुवादः– ''कह दीजिए कि मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुलआलमीन के लिए है और इसी का मुझ को हुक्म हुआ है और मैं सब से पहला फरमाँबरदार हूँ।''

(अल–अनआम :162)

और जो भी जानवर गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ा जाएगा या गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह किया जाएगा वो नजिस (नापाक) होगा, अल्लाह तआला फरमाता है–

अनुवादः– ''या गुनाह (का जानवर) हो जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो।''

ये मुशरिकों वाला अमल बहुत से लोगों में रिवाज पा चुका है कि वो जानवर किसी बुजुर्ग के नाम पर छोड़ देते हैं, उसका एहतेराम करते हैं, कोई कहता है कि ये शैख सद्दू का बकरा है या अहमद कबीर की गाय है, ये फुलां का जानवर है, किसी भी वली, नबी, जिन्न,या किसी भी मखलूक के नाम पर जानवर छोड़ देना शिर्क का अमल है और गैरुल्लाह के नाम पर जब्ह करने से वो जानवर नजिस (नापाक) हो जाता है और इस अमल के करने वाले पर शिर्क का हुक्म लागू होता है, इसलिए कि जो अमल इबादत का अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए वो गैरुल्लाह के लिए किया, हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी (रह०) लिखते हैं: ''बहुत से जाहिल लोगों ने ये आदत बना ली है कि वो अल्लाह के वली, नेक लोगों और अपने बुजुर्गों के लिए जानवर मिन्नत मानते हैं, उन जानवरों को उनकी कब्रों पर ले जाते हैं फिक़्ह के माहिर हजरात ने इस को शिर्क करार दिया है।''

(मक्तूबात मुजद्दिद अल्फे सानी रह०, मकतूबः 35–41)

मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि हज़रत अली (रजि०) ने एक किताब निकाली उसमें लिखा थाः ''उस पर अल्लाह लानत करे जो गैरुल्लाह के लिए जब्ह करे।

(मुस्लिम 424)

जगहों का एहतेरामः–

अल्लाह तआला ने अपनी ताजीम व एहतेराम के लिए कुछ जगहें खास की हैं जैसे काबा, अरफात, मुज्दलिफा, मिना, सफा, मर्वा, मकामे इब्राहीम और पूरी मस्जिदे हराम, मक्का मुअज्जमा बल्कि पूरा हरम, लोगों के दिलों में वहाँ पहुँचने का शौक डाल दिया है, लोग दूर दूर से वहाँ पहुँचते हैं, तवाफ करते हैं, दिल के अरमान जी भर के निकालते हैं। कोई चौखट से लिप्टा है कोई गिलाफ पकडे हुए इल्तेजा कर रहा है, कोई वहीं रात दिन बैठा अल्लाह की याद में मशगूल है, कोई अदब से खड़ा उसको देख रहा है, सफा मर्वा के चक्कर काटे जा रहा है, खास दिनों में मिना, अराफात और मुज्दलिफा वकूफ किये जा रहा है, ये सारे काम अल्लाह की ताजीम व एहतेराम के लिए और उसकी बंदगी के तौर पर हैं, अल्लाह उनसे राजी है, इस तरह के काम किसी और की ताजीम के लिए करना शिर्क है, और किसी की कब्र के पास उसकी खुशी के लिए चिल्ला करना किसी जगह को मुकद्दस

(पवित्र) समझ कर दूर दराज का सफर कर के आना और मिन्नतें पूरी करना या किसी कब्र या मकान का तवाफ करना और उसके आस पास की जगह को मुकद्दस समझना, वहाँ शिकार न करना, पेड़ न काटना घांस न उखाड़ना और इस जैसे काम करना और इन पर दीन व दुनिया के फायदे की उम्मीदें बांधना ये शिर्क की बातें हैं क्योंकि सब काम सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं, किसी गैर के लिए इन कामों का करना शिर्क है।

इसी तरह किसी चीज को मुकद्दस समझ कर उस से उम्मीदें बांधना और उसकी ताजीम करना जैसे किसी के नाम की छड़ी, ताजिया, ताजिये का चबूतरा, अलम और शुद्दा, इमाम कासिम और पीरे दस्तगीर की मेंहदी, शहीद के नाम का ताक, लोग इन चीजों की ताजीम करते हैं, वहीं जा कर नजरें चढ़ाते हैं और मिन्नतें मांगते हैं, उसकी कसम खाते हैं, ये सब काम शिर्क हैं।

अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने इसकी खबर दी है कि लोग अखीर दौर में इस तरह की चीजों को पूजने लगेंगे, तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में हैः ''उस वक़्त तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों से मिल नहीं जाएंगे यहां तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले गैरुल्लाह को पूजने लगेंगे।''

(तिर्मिजी 238)

पूजने का मतलब यही है कि जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं और जो तअज़ीम सिर्फ अल्लाह के लिए की जाती है वो दूसरों की की जाए, यही ''शिर्क फिल इबादः (इबादत में दूसरों को शरीक करना)'' है जिसमें उम्मत का एक अच्छा खासा तब्का मुब्तला है।

फर्याद करना और पनाह चाहनाः—

ये दोनों काम यानी फर्याद करना और पनाह चाहना ये भी सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं, हदीस में आता हैः ''मेरे सामने फरयाद नहीं की जा सकती, फर्याद तो सिर्फ अल्लाह तआला से ही की जाएगी।''

(कंजुल उम्माल : 29862)

कुरआन मजीद में साफ साफ इरशाद फरमाया गयाः ''और अगर अल्लाह तआला तुम्हें किसी तकलीफ़ में डाल दे तो उस के सिवा कोई उसको दूर करने वाला नहीं और अगर वो तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमा ले तो उसके फजल को कोई टाल नहीं सकता वो अपने बंदों में जिसे चाहे आता करे।''

(सूरह यूनुसः 107)

ये भी इबादत में ही शिर्क का अमल है कि आदमी अपने आपको किसी का बंदा कहे, बंदगी सिर्फ अल्लाह की है, बहुत से लोगों को देखा गया कि वो इस तरह जुमला जुबां से अदा करते हैं किः

"نحن عباد محمد و الله رب محمد"

(हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बंदे हैं और अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रब है'' ये खुला हुआ मुशरिकाना जुमला है, सब अल्लाह के बंदे हैं और सब का रब अल्लाह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिंदगी भर इसी की तालीम दी, फरमाया :

"إنما أنا عبد الله و رسوله فقولوا عبد الله و رسوله"

''मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ तो तुम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो)''।

(सहीह अल—बुखारीः 3445)

इसी तरह रसूल बख़्श, अब्दुन्नबी ,अब्दुर्रसूल, पीर बख़्श, हुसैन बख़्श, सालार बख़्श जैसे नाम रखना भी दुरुस्त नहीं, इससे भी शिर्क की बू आती है, बख़शिश सिर्फ़ अल्लाह का काम है किसी दूसरे को इस में किसी तरह भी शरीक़ करना तौहीद के खिलाफ़ है।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैय्यद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

राजा दाहिर के मन्त्री का सम्मान:–

दहलीला की विजय के बाद राजा दाहिर के मन्त्री सीसाकर ने मुहम्मद बिन क़ासिम से शरण का अनुरोध किया। इस्लामी सेना में आया तो मुहम्मद बिन क़ासिम ने बहुत सम्मान के साथ उससे मुलाकात की। उसके आदर–सम्मान में किसी तरह की कोई कमी न रहने दी। उसके स्वागत के लिए अपने सरदारों को भेजा। और फिर अपना मन्त्री बना लिया। जिसके बाद वह मुसलमानों के मामलों का परामर्शदाता बन गया। मुहम्मद बिन क़ासिम ने अपना सारा रहस्य उसके सामने खोलकर रख दिया। अपने क्षेत्र के मामलों, सरकार की व्यवस्था और सैन्य अभियानों के विवरण के बारे में उससे परामर्श लेने लगा। एक दिन सीसाकर ने उससे कहा, ''ऐ न्यायप्रिय शासक! आपने ज़मीन की मालगुज़ारी पुराने रस्मो–रिवाज के अनुसार निर्धारित की है, इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रजा की गर्दन पर किसी कर का बोझ नहीं डाला गया है, इससे प्रजा बहुत खुश है। प्रजा पर उपकार और न्यायप्रियता का ऐसा विधान और नियम है जिससे सारे दुश्मन परास्त होंगे। प्रजा खुश होगी और देश पर विजय प्राप्त होगी।

ब्राह्मणाबाद के वासियों और ब्राह्मणों के साथ सद्व्यवहार:–

देहलीला से मुहम्मद बिन क़ासिम ब्राह्मणबाद की ओर बढ़ा तो जयसिंह के सिपाही हमला करके उसकी सेना में रसद पहुंचने नहीं देते और तरह तरह की रुकावटें पैदा करते। मुहम्मद बिन क़ासिम ने इसकी सूचना मोका को दी तो वह इन विद्रोही कारवाईयों को रोकने के लिए एक सेना के साथ पहुंचा और उसके साथ मुसलमान सैनिक अम्र अम्बाना बिन हंज़ला कलाबी, अतीया सअलबी, सारिम बिन अबी सारिम समदानी, अब्दुल मलिक मदनी भे रहे। इन सब का सरदार मोका ही को बनाया गया जिसने आगे बढ़ कर जय सिंह को इस तरह डराया कि वह उस क्षेत्र को छोड़ कर कश्मीर की ओर चला गया।

ब्राह्मणाबाद पहुँच कर मुहम्मद बिन क़ासिम ने उसके क़िले का घेराव किया जो छः महीने तक जारी रहा। मोका भी साथ रहा। उसने मुहम्मद बिन क़ासिम के घेराव के दौरान परामर्श दिया कि यह क़िला सभी शहरों के सम्मान का प्रतीक है। अगर इस पर अधिकार मिल गया तो पूरा सिन्ध उसके अधीन हो जायेगा और दूसरे मज़बूत क़िले उसके अन्तर्गत आ जायेंगे। दाहिर की सन्तान या तो अज्ञाकारी हो जायेगी या भाग खड़ी होगी। क़िले में घिरे हुए लोगों ने हथियार डाल दिये, उन्होंने शरण माँगी तो मुहम्मद बिन क़ासिम ने आदेश दिया कि जो कोई लड़े तो उसको मारो, और किसी पर हाथ न उठाओ, क़िले वालों में से जिसने मुहम्मद बिन क़ासिम के आगे आ कर सिर झुका दिया। उसका सिर उसने ऊँचा किया, उसको शरण दी और उसको उसके घर में आबाद किया। कैदियों में दाहिर

की एक रानी भी थी जिसका नाम लादी था। दाहिर की दो बेटियाँ थीं जो उसकी दूसरी रानी की कोख से थीं। वह जब मुहम्मद बिन क़ासिम के सामने लाई गयीं तो उनके चेहरों पर नकाब डाल कर अलग बैठायी गयीं। बाद में मुहम्मद बिन क़ासिम ने वलीद बिन मलिक और हज्जाज की अनुमति से रानी लादी को ख़रीद लिया और राजनैतिक हितों को देखते हुए उससे विवाह कर लिया। क़िले के कारीगरों, व्यापारियों, व्यवसाइयों और सामान्य लोगों को शरण दी गयी। क़ैदी रिहा कर दिए गए। क़िले के ब्राह्म्णों को दुख था कि उनको पराजय मिली। वह घबरा कर मुहम्मद बिन क़ासिम के पास आए, पीले कपड़े पहने हुए थे, मातम करते हुए मुहम्मद बिन क़ासिम से कहा कि ऐ सरदार! हमारा राजा ब्राह्म्ण था, तुमने उसको क़त्ल किया। उसके जो वफ़ादार थे वह तो लड़ कर मर गये, हम पीले कपड़े पहने और मातम करते हुए तुम्हारे पास आए हैं। तुम हम लोगों के बारे में क्या आदेश देते हो। मुहम्मद बिन क़ासिम ने उत्तर दिया कि मैं अपने सिर और जान की क़सम खाता हूँ कि तुम बड़े वफ़ादार हो। मैं तुमको शरण देता हूँ इस शर्त पर कि तुम दाहिर के मानने वालों का पता बता दो, ब्राह्म्णों ने इस शर्त को मान कर उसके अनुसार अमल किया।

ब्राह्म्णों की ईमानदारी पर भरोसाः—

इसके बाद मुहम्मद बिन क़ासिम देश की व्यवस्था में लग गया। जो लोग अपनी खुशी से इस्लाम धर्म में आए, उनके अधिकार अरबों की तरह हो गए, और जिन्होंने इस्लाम धर्म क़बूल करना पसन्द नहीं किया उनको ''युद्ध कर'' अर्थात जिज़िया देना पड़ा। जो लोग मालदार थे उनसे प्रति व्यक्ति 48 दिरहम चाँदी के सिक्के अर्थात लगभग 12 रूपये (सन् 1975 के अनुसार), मध्य वर्ग के लोगों से प्रति व्यक्ति 24 दिरहम अर्थात 6 रूपये और कम हैसियत के लोगों से 12 दिरहम अर्थात 3 रूपये प्रतिवर्ष वसूल किए गए। इसके बदले में उनको अधिकार था कि वह अपने पूर्वजों के धर्म पर कायम रहें और अपनी सारी सम्पत्ति अर्थात खेत और घोड़े अपने अधिकार में रखें।

ब्राह्म्णाबाद वहां के अमीनों के हवाले कर दिया गया और प्रत्येक अमीन से उसकी हैसियत के मुताबिक सोना मालगुज़ारी अदा करने का वादा लिया गया। क़िले के चार दरवाज़ों की व्यवस्था भी उन्हीं के सुपुर्द कर दी गयी। भारत के रीति—रिवाज के अनुसार उनके हाथ पैर के लिए उनको सोने के कड़े और घोड़े ज़ीन के साथ दिए गए। उनमें से प्रत्येक के लिए दरबार में स्थान निर्धारित किया गया। जिन व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों को नुकसान पहुँचा था, उनके लिए आदेश दिया गया कि ख़जाने से उनको चाँदी के 12 दिरहम दिए जाएं। मुहम्मद बिन क़ासिम ब्राह्म्णों की ओर अधिक झुका, उनको बड़े पदों पर नियुक्त किया क्योंकि उसके मन में विचार आ गया था कि ये ईमानदार होते हैं। उसके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। वह उनको यह कह कर पद देता था कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे यहां जारी रहेगा। दूसरों को नहीं दिया जाएगा। इसका अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि यह ब्राह्म्ण हर क्षेत्र में हर जगह जा कर यह कहने लगे कि अगर यहां के लोग अरबों की वफ़ादारी करेंगे तो वह उनकी कृपा और उपकार के भागीदार होंगे।

अतः किसान आदि स्वयं मुहम्मद बिन क़ासिम के पास

आए और ख़िराज देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद मुहम्मद बिन क़ासिम ने ब्राह्म्ण कर्मचारियों को आदेश दिया कि सुल्तान और प्रजा के बीच पूरी सच्चाई से मामलात तय किया जाए। ख़िराज इतना निर्धारित किया जाए कि यह अदा हो सके। ख़िराज देने वालों के साथ अन्याय न किया जाए ताकि देश बर्बाद न होने पाए।

सामान्य जनता के साथ नरमीः–

यह तो ब्राह्म्ण कर्मचारियों को निर्देश दिया गया। फिर मुहम्मद बिन क़ासिम ने सभी लोगों को अलग बुला कर उनसे कहा कि तुम हर तरह से खुश रहने की कोशिश करो, किसी बात का सन्देह अपने मन में न लाओ, तुमसे कोई पूछताछ न की जायेगी, मैं तुमसे ख़िराज के लिए कोई दस्तावेज़ या एग्रीमेन्ट नहीं लिखाता हूं। जो तुम पर निर्धारित कर दिया गया है उसको अदा करते रहो। वसूली में भी तुम्हारे साथ नरमी और रियायत की जाएगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, सन्तुष्टिपूर्ण उत्तर पाओगे और तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती रहेगी।

मन्दिर में पूजा–पाठ की सामान्य अनुमतिः–

ब्राह्म्णाबाद में एक बहुत बड़ा मन्दिर था। लड़ाई के ज़माने में यहाँ लोगों का आना जाना बन्द हो गया था। विजय प्राप्त होने के बाद भी लोग डर के कारण वहां नहीं आते–जाते थे। जिससे उसकी आमदनी समाप्त हो गयी थी। मन्दिर के ब्राह्म्ण और महंत भूखे रहने लगे। एक दिन वह मुहम्मद बिन क़ासिम के दरवाज़े पर आए और दुआ के लिए हाथ उठा कर कहा, ऐ न्यायप्रिय शासक! आप अमर रहें, हम मन्दिर के पुजारी हैं, हमको इसी मन्दिर से जीविका मिलती है। आपने सब पर कृपा की, सौदागरों को माल दिलवा दिया, व्यापारियों का व्यापार खुलवा दिया औरों को ज़िम्मी बना कर अपने कामों में लगा दिया। उनको खुदा की कृपा से आशा है कि आप हिन्दुओं को आदेश देंगे कि वह मन्दिर में आकर अपने उपास्य की उपासना करें। मुहम्मद बिन क़ासिम ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन्दिर अरूर की राजधानी से सम्बन्धित है। इस पर अभी तक अधिकार नहीं हुआ है। हिन्दुओं ने कहा, यह मन्दिर ब्राह्म्णों का है, यह लोग सारे पंडित और पुरोहित हैं। हमारे यहां की शादी और शोक में वही रस्में अदा करते हैं। हमने ख़िराज देना इसीलिए स्वीकार कर लिया है कि हममें से प्रत्येक को अपने धर्म पर चलने की अनुमति होगी, हमारा मन्दिर ख़राब हो रहा है, हम वहां जा कर पूजा करें और हमारे ब्राह्म्णों की जीविका का साधन हो। मुहम्मद बिन क़ासिम ने यह सारी बातें लिख कर हज्जाज के पास भेजीं। यहाँ से उत्तर आया कि ''यहाँ की परिस्थितयाँ मालूम हुईं, यदि ब्राह्म्णाबाद के सरदार अपना मन्दिर बनाना चाहते हैं तो अब जबकि उन्होंने हमारा शासन स्वीकार कर लिया और ख़िलाफ़त में माल अदा करने की ज़िम्मेदारी ली है तो उस माल के अतिरिक्त उन पर हमारा कोई और हक़ नहीं। जब वह जिम्मी हो गये हैं तो उनके जान माल में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं उनको अनुमति दी जाए कि वह अपने उपास्य की उपासना करें। धर्म पर चलने में किसी व्यक्ति पर दबाव न डाला जाए ताकि वह अपने घर में जिस तरह चाहें रहें।

.....जारी.....◆◇◆

हज की फ़रज़ीयत व अहम्मीयत

हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी

हज इस्लाम के पाँच अरकान में से एक रुक्न है जिस तरह नमाज़, रोज़े ज़कात फर्ज़ हैं उसी तरह हज भी फर्ज है। इसकी फर्ज़ीयत कुर्आन शरीफ और हदीस शरीफ, इजमअ़ और अ़क्ल हर तरह से साबित है, हज की फरज़ीयत का इन्कार कुफ्र है हर उस शख्स पर जो आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ और तन्दुरुस्त हो और उस के पास अपनी और अपने बीवी बच्चों की बुन्यादी जरूरियात को पूरा करने के बाद इतना ज़ाइद हो कि उस से मक्का मुकर्रमा जाने आने और दौराने सफर के इखराजात पूरे हो सकें। उम्र में एक बार फर्ज होता है, जिस की अदायगी जिन्दगी भर में ज़रूरी होती है। हज की इस्तिताअ़त के होने की सूरत में भी हज न करना अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से बहुत बुरा करार दिया गया है और उस पर बड़ी वईद आई है। अल्लाह तआला फरमाता है अनुवादः ''और अल्लाह का हक़ है लोगों पर, हज करना उस घर का जो कोई पावे उस तक राह और जिस ने कुफ्र व इन्कार किया तो अल्लाह ग़नी व मुस्तग़नी है तमाम जहां के लोगों से''। (आले इमरानः 97)

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ''जो शख्स हज का इरादा रखता हो उस को जल्दी करना चाहिए'' और फरमाया ''जिस शख्स को किसी हाजत, या मरज़े शदीद या जालिम बादशाह ने हज से नहीं रोका और वह हज किए बिना मर गया तो उसकी मरज़ी जो चाहे करे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर''।

कुर्आन मजीद की आले इमरान वाली आयत से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक हज़ का न करना कुफ्र की तरह की बात है और हदीस शरीफ से खुला हुआ इशारा मिल रहा है कि हज का न करना गोया इस्लाम से रिश्ता नाता तोड़ देना या इस्लाम से बे तअ़ल्लुक़ी के मुरादिफ है। अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के इन फरमूदात के बाद किसी मुसलमान के लिए हज तर्क करने या उस की अदायगी में सुस्ती व कोताही करने की क्या गुंजाइश रह जाती है। लिहाजा हज की इस्तिताअत होते हुए किसी भी मुसलमान के लिए ज़ेबा नहीं कि उस की अदायगी में ताखीर करे।

(हज व मुकामाते हज से ग्रहीत)

हज के मुसाफिर

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी रह0

कितना मुबारक है हज का सफर, जो शख़्स हज का इरादा करता है और उसको मंजूरी मिल जाती है उसके पास पड़ोस और अजीज़ों में सफर से पहले ही चर्चा हो जाती है कि फलां साहब हज को जा रहे हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब उससे मिलने आते हैं और वह खुद अपने मिलने वालों और करीबी अजीज़ों से मिलता है, उसकी ज़बान पर यही होता है, भाई मेरी गलतियों को मुऑफ करना और मेरे लिए दुआ करना कि मेरा हज सही तौर पर अदा हो और अल्लाह तआ़ला कबूल फरमाएं। यह बड़ी अच्छी तौफीक़ है। हज ऐसी इबादत है कि अगर वह सही तौर पर नसीब हो जाए यानी हज्जे मबरूर व मक़बूल अदा हो जाए तो हाजी के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, लेकिन गुनाह दो तरह के होते हैं एक वह जिनका सिर्फ अल्लाह तआला से तअल्लुक़ होता है उसे हक्कुल्लाह कहते हैं वह तो तौबा से भी मुऑफ हो जाते हैं और हज्जे मबरूर से भी लेकिन जिन गुनाहों का तअल्लुक बन्दों से होता है, जैसे किसी को मारा, किसी को गाली दी, किसी की ग़ीबत की, किसी का माल ले लिया यह सब हक़्कुल इबाद हैं वह तौबा से भी मुऑफ नहीं होते जब तक हक वाला यानी जिस को सताया या उसका माल ले लिया है वह मुऑफ न कर दे या अपना बदल न पा जाए मुआफ नहीं होता यह अलग बात है कि हज्जे मबरूर वाले पर जिस का हक़ हो अल्लाह तआला उस हक़ वाले को अपने इनआम व इकराम से नवाज़ कर उसको अपना हक मुआफ कर देने पर राज़ी कर दे लेकिन चाहिए यह कि हक्कुल इबाद यानी बन्दे के हुकूक़ में या उनका बदल अदा कर दे या मुआफ़ी चाह ले ताकि अल्लाह तआला हज के बाद तमाम गुनाहों से पाक साफ़ फ़रमा दें।

हज ऐसी इबादत है जो उन मालदार मुसलमानों पर फर्ज़ है जो अपने मुतअल्लिक़ीन की जरूरतें पूरी करते हुए हज का ख़र्च उठा सकते हों जो आज कल कम से कम साढ़े तीन लाख है, इतनी रकम कम ही लोग बचा पाते हैं लेकिन हज की तमन्ना ग़रीब से ग़रीब भी करता है उसका सबब यह है कि हर मुसलमान का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से लगाव है हज के सफर में उस की चाहत बहुत हद तक पूरी होती है वह इस तरह कि हज के सफर में मदीना तय्यिबा हाजिरी का भी नज़्म होता है। और हज के मुसाफिर नबीये करीम के रौज़ए–अक्दस पर हाजिरी देते हैं और सलात व सलाम पेश करते हैं इसी लिए तो वह ग़रीब होने के बावजूद गुनगुनाता रहता है।

"दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।"

बेशक मोमिन सबसे ज़्यादा अल्लाह से महब्बत रखता है उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

से, यह महब्बत उसके ईमान की अलामत है ''ऐ अल्लाह हम को अपनी महब्बत दे, अपने रसूल की महब्बत दे और अपने तमाम महबूबों की महब्बत दे और ऐसे अमलों की महब्बत दे जिन से तेरी महब्बत मिले आमीन।

हज के मुसाफिर अपने अहल व अयाल से रुख़्सत हो कर अपनी मस्जिद जाते हैं वहां दो रकअत नमाज़े सफर पढ़ कर लोगों से वदाअ़ लेते हुए वे अल्लाह के ज़िक्र के साथ अपने क़रीबी हज हाउस जाते हैं, नमाज़ की पाबन्दी करते हैं हज हाउस में उनकी ख़िदमत और रहनुमाई के लिए तब्लीगी जमाअत के भाई मिलते हैं कुछ दूसरे अल्लाह वाले खिदमत करने वाले भी मिलते हैं, जो हज के मुसाफिरों को हज व उम्रे से मुतअल्लिक़ ज़रूरी बातें याद दिलाते हैं, आम तौर से शुरुअ़ में मुसाफिरों को मदीना तय्यिबा ले जाया जाता है, हाजी लोग बड़ी खुशी व मुसर्रत के साथ दुरूद व दुआएं पढ़ते हुए मदीना तय्यिबा पहुंचते हैं, वहां मस्जिदे नबवी में हाजिर हो कर दो रकअतें अदा करके रौज़े पर हाजिर हो कर अपनी आँखें ठण्डी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, हज़रत अबू बक्र रज़ि0 और हज़रत उमर रज़ि0 को सलाम पेश करते हैं यह बा बरकत सिलसिला आठ दिन तक चलता है कितने खुशनसीब हैं वह भाई बहन जो रोज़ाना मस्जिदे नबवी में नमाज़ें पढ़ कर हज़ार गुना सवाब लेते हैं और रोज–ए–नब्वी पर हाजिर हो कर खूब सलात व सलाम पढ़ कर दिल का सुकून पाते हैं जिस रोज़ मदीना तय्यिबा से मक्का मुकर्रमा को रवाना होते हैं तो मदीना तय्यिबा छूटने पर हाजियों के दिल भर आते हैं आंसू टपकने लगते हैं लेकिन बहरहाल यह एक नज़्म है आगे बढ़ना ही है मदीने से कुछ फासले पर जुल हुलैफ़ा मिलता है जिसको बिअरे अली भी कहते हैं यह मदीना की तरफ से मक्का जाने वालों की मीक़ात है। यहां औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग नहाने और ज़रूरियात से फारिग़ होने का हुकूमत की तरफ़ से अच्छा इन्तिज़ाम है यहां नहा धो कर सब एहराम बांधते हैं, मर्द दो चादरें पहन लेते हैं। एक लुंगी की तरह बांध लेते हैं एक ऊपर से ओढ़ लेते हैं, औरतें अपने कपड़ों ही में रहती हैं फिर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर दिल व ज़बान के साथ कहते हैं, ''ऐ अल्लाह मैं उमरे की नीयत करता हूँ उसे मेरे लिए आसान कर दे'' फिर मर्द ज़ोर से औरतें आहिसता यह पढ़ते हैं ''लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक'' अब हाजी एहराम में आ गया। हैज़ व निफास वाली औरतें नहा के या वज़ू करके नापाकी की हालत में ही बग़ैर नमाज़ पढ़े उमरे की नीयत करती हैं। अब मर्द सिले कपड़े नहीं पहन सकता सर नहीं ढक सकता, बाल व नाखून नहीं काट सकता और दूसरी एहराम की पाबन्दियां एहराम वाले (मर्द और औरतें) सब इसका एहतिमाम करते हैं, अलबत्ता औरतें सर न खोलेंगी लेकिन चहरे पर कपड़ा न डालेंगी अजनबी से चेहरा छुपाने के लिए पंखे वगैरह से आड़ कर लेंगी वह सिले कपड़े पहनेगी, मियां बीवी में तअल्लुक़ात न

होंगे बल्कि हंसी मज़ाक़ से भी बचना होगा, तल्बिया खूब पढेंगे मर्द ज़ोर से औरतें आहिस्ता लब्बैक दुआ व दुरूद पढ़ते हुए मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। हरम हाज़िर होते हैं और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ कर हरम में दाखिल होते हैं। काबे को देख कर बेखुद हो कर खूब दुआएं करते हैं, तवाफ व सई का तरीका पहले से सीख चुके हैं अब जानने वालों को देख कर उनके साथ तवाफ करते हुए खूब दुआएं करते हैं फिर दो रकअत तवाफ़ की अदा करके ज़मज़म पी कर सफा पहाड़ी पर आकर दुआवों के साथ सई पूरी करते हैं। अब मर्द बाल कटा या मुंडा कर और औरतें अपनी चोटी से एक अंगुल बाल काट कर एहराम से बाहर आ जाते हैं हैज़ व निफ़ास वाली औरतें पाक होने के बाद ही तवाफ़ व सई करेंगी। अब अपनी कियाम गाह पर रहते हुए रोज़ाना हरम में हाज़िरी देकर खूब तवाफों का सवाब लेते हैं बूढ़े लोग काबे शरीफ़ को देख कर ही सवाब लेते हैं।

8 ज़िलहिज्ज की सुबह को फिर पहले की तरह हज का एहराम बांधते हैं और मिना जाते हैं खूब लब्बैक पढ़ते हैं। 9 जिलहिज्ज को मिना से अरफ़ात जाते हैं 9 को अरफ़ात जाये बिना हज नहीं होता। पूरा दिन दुआओं में गुज़ारते हैं मग़रिब का वक्त हो जाने पर मगरिब पढ़े बिना मुज़दलफा आते हैं यहां मगरिब व इशा एक साथ पढ़ते हैं और रात दुआ व इबादत में गुज़ारते हैं। सुबह फज्र पढ़ कर थोड़ा रुक कर मिना आ कर बड़े शैतान जमरतुल अकबा को कंकरियां मारते हैं। कमज़ोर लोग अपनी तरफ से किसी को कंकरियां मारने के लिए वकील बना देते हैं। बड़े शैतान को कंकरियां मारने से पहले ही लब्बैक कहना खत्म हो जाता है। अब कुर्बानी करते हैं, कुछ लोग कुर्बानी के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं कुछ लोग खुद वहां की तंज़ीमों के ज़रिए कुर्बानी करवाते हैं। हैज़ व निफ़ास वाली औरतें भी यह सारे काम करती हैं सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़ती हैं फिर नहा धो कर तवाफे ज़ियारत के लिए हरम जाते हैं इस तवाफ़ के बिना हज नहीं होता। हैज़ व निफ़ास वाली औरतें पाक हो कर ही तवाफ़े ज़ियारत करती हैं 11,12 जिलहिज्ज को मिना में रुक कर तीनों शैतानों (जमरात) को कंकरियां मारते हैं। 12 की शाम को मिना छोड़ देते हैं, हज पूरा हो गया। अब जब तक मक्का में ठहरना होता है रोज़ाना तवाफ का सवाब लेते हैं फिर इन्तिजामिया के तहत वदाई तवाफ कर के ज़मज़म और खजूर के तुहफ़े के साथ अपने मुल्क आते हैं, लोगों के लिए खूब दुआएं करते हैं, दावतें खाते खिलाते हैं।

आखिर में बहुत से हाजियों को सीधे जद्दा ले जाया जाता है, वह अपने हवाई अड्डे ही पर एहराम बांध लेते हैं और फिर मक्का मुकर्रमा पहुंच कर वह भी पहले उमरा करते हैं फिर हज करते हैं। हज के बाद उनको मदीना तय्यिबा की ज़ियारत कराई जाती है। आम तौर से हमारे मुल्क़ के लोग तमत्तुअ़ हज करते हैं इसलिए यहां उसी का बयान हुआ। अल्लाह तआला सारे हाजियों का हज़ क़बूल फ़रमाए।

आमीन।

❖❖❖

पर्दा

नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

प्रश्नः इस्लाम औरत को पर्दे में रख कर उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश क्यों लगाता है?

उत्तरः इस्लाम में औरतों के पर्दे के बारे में पश्चिमी जगत ही नहीं बल्कि भारत के अंग्रेज़ भक्त भी बड़ा हो–हल्ला मचाते हैं। हालांकि ये बात दिन के उजाले की भाँति स्पष्ट है कि केवल इस्लाम ही है जिसने औरतों को मान–सम्मान दिया और उसकी हर प्राकर से रक्षा की। निष्पक्ष इतिहास के पन्ने पलटिये और देखिए कि किसने महिलाओं को मान–सम्मान से अलंकृत किया, किसने उसके अधिकार दिलाए, किसने उसे अत्याचार की बेड़ियों से आज़ाद कराया। निःसंदेह इसका श्रेय इस्लाम को जाता है जिसने स्त्री जाति का स्तर ऊँचा करने के लिए उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी वह वास्तविक अधिकारी थी।

मर्द का पर्दाः–

लोगों में गलत धारणा है कि इस्लाम केवल औरतों को ही पर्दा करने का आदेश देता है, जबकि पवित्र कुर्आन में है–

''मुसलमान मर्दों से कह दो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें''।

(सूरः नूर–30)

अतः ज़रूरी है कि जब किसी मर्द की नज़र किसी महिला पर पड़े तो तुरन्त नज़र झुका ले।

औरत का पर्दाः–

पवित्र कुर्आन में पर्दे से सम्बन्धित है–

''और अल्लाह पर ईमान रखने वाली महिलाओं से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी पवित्रता की रक्षा करें, और न दिखाएं अपना श्रृंगार मगर जो खुली चीज़ है उसमें से, और डाल लें अपनी ओढ़नी अपने गिरेबां पर और न दखिाएं अपने श्रृंगार को अपने पति, पिता, ससुर, पुत्र के अतिरिक्त किसी के सामने''।

(सूरः नूर–31)

इस्लाम धर्मशास्त्र के चार प्रमुख विद्वानों में से तीन के निकट औरत का चेहरा और हाथ गैर मर्द के सामने खोलना जायज़ नहीं। जबकि इमाम अबू हनीफा रह0 के निकट भी यदि फित्ने का डर हो तो समस्त शरीर के साथ चेहरा और हाथ का पर्दा ज़रूरी है। अर्थात इमाम अबू हनीफा के निकट यदि फितने का डर हो तो हाथ और चेहरे का पर्दा भी ज़रूरी है। अतः सार यही निकलता है कि औरत का पर्दा सर से ले कर पाँव तक है और उनका गैर मर्दों के सामने हाथ और चेहरा खोलना जायज़ नहीं है, और इस बात पर इस्लाम के समस्त धर्म शास्त्री एकमत हैं।

गैर मर्दों के समाने चेहरा और हाथ खोलना तभी जायज़ होगा जबकि फित्ने का डर न हो, और ये वर्तमान युग में सम्भव नहीं दिखता है।

औरत का भी मर्द को देखना हरामः–

यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह मर्द का औरतों को देखना हराम है, उसी प्रकार औरत का भी मर्द को देखना हराम है। कई इस्लामी विद्वानों ने स्पष्ट रूप से औरतों का मर्दों को देखना हराम करार दिया है।

शेष पृष्ठ..25...पर

बहार लौट आई

जमाल अहमद नदवी
(उप सम्पादक)

हम सब देशवासी उस महामारी से नजात पा चुके हैं जिसने पूरे विश्व की चूलें हिला दीं, जिससे भयावह मंजर हमारी आँखों ने कभी नहीं देखा, जिस का खयाल ही तन बदन में कपकपी ला देता है, जिसने हर स्तर की व्यवस्थायों को फेल कर दिया था, कोई ऐसा क्षेत्र न था जो प्रभावित न हुआ हो, कारोबार से ले कर शिक्षा दीक्षा की सारी संस्थायें ठप सी हो गईं थी। हर प्रकार के सामाजिक, धार्मिक प्रोग्रामों पर पूरे दो साल कोरोना प्रोटोकॉल का पहरा रहा, पिछले दो साल रमजान, ईद, कुर्बानी, हज हमने किस तरह मनाई वह बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस साल 2022 का रमजान, ईद, तरावीह हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन की गाइड लाईन का पालन करते हुए मनाई, लेकिन कुछ अशांति पसन्द लोगों को यह बात पसंद न आई और वह नफ़रत बाँटने के अपने कार्य में लगे रहे और अभी भी लगे हुए हैं।

इस कोरोना काल में जिस क्षेत्र का सबसे ज़ियादा नुकसान हुआ वह शिक्षा का क्षेत्र है छोटे बड़े सारे स्कूल व मदरसे कॉलेज व यूनिवर्सिटियां इससे प्रभावित हुईं, और हर जगह सन्नाट पसरा रहा, जिनके कैंपसों में हजारों लोगों का रोज़ आना जाना रहा करता था और जिन की वजह से वहां ज़िंदगी महसूस होती थी वहां हर तरफ बेरौनकी नज़र आने लगी थी, कोरोना ने छोटे बच्चों की तालीम को तो बिल्कुल चौपट कर दिया, छोटे से ले कर बड़े तक सब आलसी और मोबाईल के रसिया हो गये। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी संस्थाओं ने ऑन लाईन तालीम का इंतिज़ाम करके बच्चों के भविष्य और शिक्षा सत्र को बचाने का पूरा प्रयास किया, नफ़ा नुक़सान तो अपनी जगह जग ज़ाहिर है।

दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने भी पूरे दो साल ऑन लाईन तालीम का सिलसिला ज़ारी रखा, एक बड़ी तादाद ने उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया, रमज़ान से पहले जैसे ही ज़िम्मेदारों को आभास हुआ कि भारत सरकार ने कोरोना काल की पाबंदियाँ हटा ली हैं और कालेज और यूनिवर्सिटियाँ अपने कैंपस ऑफ लाईन तालीम के लिए खोल रही हैं, दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने भी फौरन ऑफ लाइन के लिए अपने सारे कैंपस खोलने का फैसला किया और नये सत्र के एडमीशन, टेस्ट, कागज़ात के सत्यापन, फीस के विवरण सहित ज़रूरी कागज़ात लाने की शर्तों के साथ ऐलान निकाल दिया, इल्म दीन की चाहत रखने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे रमजान बच्चे आन लाईन अपने एडमीशन की कार्यवाई कराते रहे, और इंतिज़ामिया ने हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी नाजिम नदवतुल उलमा के आदेशानुसार युद्ध स्तर पर कैम्पस खोलने की तैयारियाँ शुरु कर दीं, मस्जिद, क्लास रूम, हॉस्टल, मेस, कैंटीन, मार्केट, वजू खाने हर जगह साज सज्जा, रंग–रोगन, लाईट, पानी की

पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य पूरे रमजान ज़ोर शोर से चलता रहा।

अल्लाह का लाख–लाख शुक्र व एहसान है कि ईद की छुट्टियों के बाद नदवतुल उलमा पूरी तरह खुल चुका है और दूर व करीब के दीन की तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाले अपने सरपरस्तों, अपने पुराने और नये साथियों के साथ आने शुरु हो गये हैं, और दो हज़ार से ज़ियादा तलबा अब तक आ चुके हैं जिनके आने से गुलशन में हर तरफ बहार लौट आई है चमन की हर मुरझाई कली हर आने वाले को खुश आमदीद और वेलकम कह रही है। नदवतुल उलमा की मरकज़ी इमारत से लेकर मस्जिद के दरोदीवार गोया हँस और मुस्कुरा रहे हैं, मस्जिद का कोना–कोना तहख़ाने से ले कर सेकेण्ड फ्लोर तक हर ओर अल्लाहु अकबर की सदायें गूँज रही हैं, यहाँ के सारे छोटे बड़े ज़िम्मेदारान, असातिजा, कारकुनान के चेहरों पर खुशी व मसर्रत के आसार नुमायां हैं और हर एक अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभा रहा है और हर एक दिल से दुआ कर रहा है कि अल्लाह इस बहार को काइम व बाक़ी रखे, और अम्न व शांति के साथ तमाम मदरसों को आबाद रखे, ताकि वह अम्न व शांति के दूत बन कर देश के सम्मान, सुरक्षा में भागीदार बनें।

सिहने चमन को अपनी बहारों पे नाज़ था
वह आ गये तो सारी बहारों पे छा गये
जिगर मुरादाबादी

आप आये तो बहारों ने लुटाई ख़ुशबू
फूल तो फूल थे काँटों से भी आई ख़ुशबू

❖❖❖

पर्दा....

पवित्र हदीस में इस निषेधता का स्पष्ट प्रमाण भी मौजूद है–

''हज़रत उम्मे सलमा रज़ि0 कहती हैं कि हम और हज़रत मैमूना रज़ि0 हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ि0 जो दृष्टिहीन थे, आप सल्ल0 के पास आए। आप सल्ल0 ने हम दोनों से कहा कि इनसे पर्दा करो। हमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! ये अन्धे हैं! न ये हमको देखेंगे न पहचानेंगे। आप सल्ल0 ने कहा कि क्या तुम दोनों भी अन्धी हो, क्या तुम उनको न देखोगी''।

(अबूदाऊद–तिर्मिजी)

पर्दा स्त्री की अस्मिता का रक्षकः–

पर्दे का मूल उद्देश्य उसकी अस्मिता और सम्मान की रक्षा है।

पवित्र कुर्आन में हैः–

''ऐ नबी! कह दो अपनी औरतों को और अपनी बेटियों को और मुसलमान की औरतों को, नीचे लटका लें अपने ऊपर थोड़ी सी चादरें, इसमें बहुत क़रीब है कि पहचानी पड़ें तो कोई उनको न सताये और अल्लाह है बख्शने वाला मेहरबान''। (सूरः अहज़ाब–59)

अतः पर्दे के कारण सामान्यतः महिलाएं दुर्व्यवहार से बच जाती हैं। क्योंकि वह पूरी तरह चादर, नक़ाब या बुर्के से ढकी रहती हैं। हाँ! आजकल जो फैशनेबुल नक़ाब चलन में है उसे इस्लामी हिजाब कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि महिलाओं का बुर्का या नक़ाब ढीला–ढाला होना चाहिए जिससे किसी अंग का प्रदर्शन न हो, इसी प्रकार पारदर्शी भी नहीं होना चाहिए कि नक़ाब लगा कर भी नंगेपन का एहसास हो।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: हज किन लोगों पर फर्ज है?

उत्तर: हज हर ऐसे मुसलमान पर फर्ज है जो आज़ाद, आक़िल, बालिग़ और स्वस्थ्य हो, और उसके पास बुनियादी ज़रूरतों के अलावा इतना माल हो कि उसकी हालत और हैसियत के मुताबिक खान–ए–काबा आने जाने के खर्च और खाने पीने के लिए काफी हो, इसके अलावा जिनके खर्च का ज़िम्मा उसके ऊपर अनिवार्य हो उनको दिया जा सके, और रास्ते में कोई डर न हो, और औरत के लिए साथ में महरम हो।

(फत्हुल क़दीर– 2/410)

प्रश्न: जिस साल हज फर्ज हो तो क्या उसी साल हज के लिए जाना ज़रूरी है या लेट की भी गुंजाइश है?

उत्तर: हज जिस साल फर्ज हो, जितनी जल्दी मुम्मकिन हो उसी साल हज कर ले, बिना किसी अहम सबब के लेट करने से गुनाह होगा, हाँ अगर बाद में भी हज कर लिया जाय तो गुनाह माफ हो जायेगा।

(जुजाजतुल मसाबीह 2/29)

प्रश्न: अगर किसी पर ह़ज फर्ज हो जाए, उसके बावजूद बिला किसी उज्र के हज न करे तो ऐसे व्यक्ति के बारे में शरीअ़त क्या कहती है?

उत्तर: संसाधन होने और कोई रुकावट न होने के बावजूद हज न करने वालों के बारे में हदीस शरीफ में सख़्त डराने वाली बातें आई हैं और उनके ईमान की हालत में मौत पर अंदेशा जाहिर फरमाया गया है, आप सल्ल0 ने ऐसे लोगों को यहूद व नसारा से तशबीह दी है।

(जुजाजतुल मसाबीह 2/95)

प्रश्न: क्या हज करने वाले हाजी पर हज की भी कुर्बानी करना होगी और साहिबे निसाब वाली कुर्बानी भी करना होगी?

उत्तर: हज्जे किरान या तमत्तु हज करने वाले पर हज की कुर्बानी वाजिब होगी जो 10 जिल्हिज्ज को सिर्फ हरम के हुदूद में की जाती है लेकिन यह हाजी अगर अपने पैसों से हज करने गया है और साहिबे निसाब है और 8 जिल्हिज्ज को मक्का मुकर्रमा में मुकीम के हुक्म में है यानी मक्का मुकर्रमा में कियाम करते हुए 8 जिल्हिज्ज को 15 दिन हो चुके हैं तो अगरचि 10 जिल्हिज्ज को वह मिना में होगा उस पर साहिबे निसाब वाली कुर्बानी भी वाजिब होगी जिसे वह 10 जिल्हिज्ज को ईदुल अजहा की नमाज़ के बाद से 12 जिल्हिज्ज को गुरूबे आफताब से पहले तक किसी भी दिन और कहीं भी करवा सकता है जहां कुर्बानी होगी वहीं की तारीख का लिहाज होगा, लेकिन अगर हाजी 8 जिल्हिज्ज को मक्का मुकर्रमा में मुसाफिर के हुक्म में है यानी 8 जिल्हिज्ज तक मक्का मुकर्रमा में ठहरे हुए उस को 15 दिन नहीं हुए हैं तो 10 जिल्हिज्ज को वह मिना में मुसाफिर है और साहिबे निसाब वाली कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं।

प्रश्न: जो लोग मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों में नौकरी करते हैं वह साहिबे निसाब हैं अगर वह

कुर्बानी के दिनों में बाहर मुल्कों में मुकीम हों और वहां अपनी वाजिब कुर्बानी न करना चाहें बल्कि अपने वतन में अपने अजीजों से कुर्बानी करवाना चाहें तो वह क्या करें?

उत्तर: जो मुसलमान कुर्बानी के दिनों में बाहर मुल्कों में मुकीम हों यानी मुसाफिर न हों और साहिबे निसाब हों और अपनी वाजिब कुर्बानी अपने वतन में अपने अज़ीज़ों से करवाना चाहें तो वह फोन से या खत से या किसी भी जरिए से जिस अज़ीज से कुर्बानी करवाना चाहें उस को कहला दें कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दे यह पैग़ाम कुर्बानी करने से पहले पहुंचना चाहिए या उसके घर वाले या उसका कोई अज़ीज़ जो उस की तरफ से कुर्बानी करना चाहे वह उस के इल्म में लाए कि मैं तुम्हारी तरफ से कुर्बानी करूंगा उसके बाद कुर्बानी की जाए तो उस का वाजिब अदा हो जाएगा। याद रहे जो शख्स कुर्बानी के दिनों में मुल्क से बाहर हो उस के घर वाले या उस का कोई अज़ीज़ उस के कहे बगैर या उसके इल्म में लाए बगैर उस की तरफ से कुर्बानी कर देगा तो कुर्बानी न होगी। और वाजिब कुर्बानी अदा न होगी, वाजिब कुर्बानी उस के जिम्मा रहेगी।

प्रश्न: क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती जब की वह मालदार हो?

उत्तर: हाँ मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है जब की वह कुर्बानी के दिनों में सफर पर हो चाहे साहिबे निसाब हो लेकिन सफर की हालत में अगर कहीं 15 दिन ठहरने का इरादा कर लिया और उन 15 दिनों में कुर्बानी का भी कोई दिन आ गया और वह साहिबे निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।

प्रश्न: कुछ लोग हज के मुसाफिर को रुख्सत करते वक्त फूल की माला (सहरा) उसके गले में डालते हैं और कुछ लोग एक पट्टी में रूपया बांध कर उसके बाजू पर बांधते हैं और उस को इमाम जामिन कहते हैं इसका क्या हुक्म है?

उत्तर: लोग खुशी में और जजबात में आ कर ऐसा करते हैं हज के मुसाफिर को चाहिए कि वह हिकमत से ऐसे लोगों से कहे कि भाईयो आप लोगों की महब्बत का शुक्रिया, मैं अल्लाह की तौफीक़ से बड़ी अहम इबादत हज के लिए जा रहा हूं उस की कबूलीयत के लिए जरूरी है कि मैं उस सफर में और सफर से पहले कोई गलत काम न करूँ फूल की माला पहनना मर्दों के लिए ठीक नहीं है इस लिए इस माला पहनाने से मुझ को मुआफ कर दें। इसी तरह मुसाफिर के बाजू पर इमाम जामिन बांधना दुरुस्त नहीं, मेरा जामिन तो अल्लाह है। आप लोग तो मेरे लिए दुआ करें कि मेरा सफर आसान हो, अल्लाह मेरी हिफाजत करे और मेरे लिए हज करना आसान करे और कबूल करे, इस तरह की बातें करके हज का मुसाफिर इन गलत रस्मों से बच सकता है। औरत भी जो हज का सफर कर रही हो वह भी ऐसी बातों से अपने को गलत रस्मों से बचा सकती है अलबत्ता उस के लिए एक दो फूल की माला पहनाने की गुंजाइश है लेकिन जिस हज के मुसाफिर में इस तरह समझाने की सलाहियत न हो वह इस को कराहत के साथ बरदाशत करे अल्लाह उस को मुआफ करेगा।

❖❖❖

कुर्बानी के मसायल

फिक़्ह की मोतबर किताबों से

इदारा

कुर्बानी का बड़ा सवाब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह को पसन्द नहीं कुर्बानी करते वक्त खून का जो कत्रा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह तआला के पास मक्बूल हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर के बदन पर जितने बाल होते हैं, हर हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है। बड़ी दीनदारी की बात तो यह है कि अगर किसी पर कुर्बानी करना वाजिब भी न हो तब भी इतने बे हिसाब सवाब के लालच से कुर्बानी कर देना चाहिए। अगर अल्लाह ने माल दिया हो तो चाहिए कि जहां अपनी तरफ से कुर्बानी करे अपने वफात पाए हुए रिश्तेदारों की तरफ से भी कुर्बानी कर दे जैसे माँ बाप वगैरह। अगर यह न हो सके तो माल वाला अपनी तरफ से कुर्बानी ज़रूर करे कि उन पर वाजिब है।

० मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं।

० बकर ईद की दस्वीं तारीख से लेकर बारहवीं तारीख की शाम तक कुर्बानी करने का वक्त है।

० अपनी कुर्बानी को अपने हाथ से ज़ब्ह करना बेहतर है और खुद जब्ह करना न जानता हो तो किसी और से ज़ब्ह करवा दे।

० कुर्बानी करते वक्त जबान से नीयत पढ़ना और दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है अगर दिल में ख़्याल कर लिया कि मैं कुर्बानी करता हूं और जबान से कुछ नहीं पढ़ा सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर कह के ज़ब्ह कर दिया तो कुर्बानी दुरुस्त हो गई। अगर याद हो तो कुर्बानी की दुआ पढ़ लेना बेहतर है। (अरबी दुआ यहाँ नहीं लिखी जा रही है)

० मालदार पर कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से करना वाजिब है औलाद की तरफ से वाजिब नहीं है।

० बकरी, बकरा, भेड, दुम्बा, भैंस, भैंसा, ऊँट, ऊँटनी इतने जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है। झगड़े फसाद से बचने के लिए यहाँ गाय की कुर्बानी न करना चाहिए।

० भैंस, भैंसा, ऊँट में अगर सात आदमी शरीक हो कर कुर्बानी करें तो भी दुरुस्त है लेकिन शर्त यह है कि किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो और सबकी नीयत कुर्बानी या अकीका करने की हो।

० अगर बड़े जानवर में सात आदमी से कम लोग शरीक हुए तब भी कुर्बानी दुरुस्त होगी मगर किसी का हिस्सा सातवें हिस्से से कम न हो, अगर कोई शख़्स बड़ा जानवर (भैंस वगैरह) अकेले कुर्बानी करना चाहे तब भी कुर्बानी दुरुस्त होगी।

० बकरी, बकरा साल भर से कम की कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं। भैंस, भैंसा दो साल से कम उम्र के कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं और ऊँट की उम्र कुर्बानी के लिए कम से कम पांच साल है, लेकिन 6 माह का दुंबा या भेड़ अगर इतना मोटा ताजा हो कि साल भर का

मालूम होता हो तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त है वरना उसे भी साल भर का होना ज़रूरी है। बेहतर यही है कि 6 माह की भेंड़ी की कुर्बानी न करे चाहे वह खूब मोटी ताज़ी हो।

० जो जानवर अन्धा हो या एक आंख का हो या एक कान तिहाई या तिहाई से ज़्यादा कट गया हो। तिहाई दुम या तिहाई से ज़्यादा कट गई तो उस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं।

० जो जानवर इतना लंगड़ा हो कि सिर्फ तीन पैरों से चलता है उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं।

० जिस जानवर के बिल्कुल दांत न हों उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। अगर आधे से ज़्यादा दांत गिर गये हों तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं।

० जिस जानवर के पैदाइश ही से कान नहीं हैं उसकी कुर्बान दुरुस्त नहीं।

० जिस जानवर की सींग पैदाइशी नहीं है, सींग थी मगर जड़ से टूट गई तो उसकी कुर्बानी न होगी। लेकिन अगर जड़ से सिर्फ खोल निकल गया है गूदा आधे से ज़्यादा बाकी हो तो कुर्बानी दुरुस्त होगी। चाहे दोनों सींगों में हो या एक में।

० खस्सी यानी बध्या बकरे, मेंढ वगैरह की कुर्बानी दुरुस्त है।

० कुर्बानी का गोश्त आप खाएं और अपने रिश्तेदारों को दें और फकीरों मुहताजों को खैरात करें और बेहतर यह है कि कम से कम तिहाई हिस्सा गरीबों को दें लेकिन अगर थोड़ा गोश्त गरीबों को दिया तो भी कोई गुनाह नहीं है।

० कुर्बानी की खाल को यूं ही खैरात कर दे या बेच कर उसकी कीमत खैरात करदे। वह कीमत ऐसे लोगों को दे जो जकात के मुस्तहिक़ हों।

० कुर्बानी की खाल की कीमत मस्जिद के काम में या किसी और नेक काम में लगाना दुरुस्त नहीं वह गरीबों का ही हक़ है।

० कसाई को उसकी मज़दूरी में कुर्बानी का कोई भी हिस्सा न दे बल्कि मज़दूरी अपने पास से दे।

० किसी पर कुर्बानी वाजिब थी मगर कुर्बानी के दिन गुज़र गये वह कुर्बानी न कर सका तो अब वह एक बकरी या भेड़ की कीमत खैरात करे। और अगर बकरी खरीद ली थी मगर कुर्बानी न कर सका तो वही बकरी खैरात करे।

० जिसने नज़्र (मन्नत) मानी कि मेरा फुलां काम हो जाए तो मैं कुर्बानी करूँगा तो काम हो जाने पर उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और इस कुर्बानी का पूरा का पूरा गोश्त खैरात करना वाजिब होगा।

० अगर किसी वफात पाए हुए शख़्स को सवाब पहुंचाने के लिए उसके नाम से कुर्बानी करे तो उस कुर्बानी का गोश्त भी अपनी कुर्बानी की तरह खाना खिलाना दुरुस्त है।

० अगर कोई शख़्स यहां मौजूद नहीं है उसके हुक्म के बिना अगर कुर्बानी कर दी गई तो यह कुर्बानी सही न होगी। और उसके हुक्म के बिना अगर उसकी तरफ से किसी बड़े जानवर में हिस्सा लगा कर कुर्बानी की गई तो किसी की भी कुर्बानी सही न होगी।

० कुर्बानी की खाल कसाई को उजरत में देना या किसी को भी उजरत में देना जाइज़ नहीं।

० कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है अलबत्ता उजरत में न दिया जाए। ◆◇◆

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

–अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

मर्द व औरत की बराबरी का नाराः–

कुछ क्षेत्रों से बहुविवाह के खिलाफ ''प्रमाणों'' की सूची में इजाफे के तौर पर ''संयुक्त राष्ट्र के चार्टर'' (कि जिसमें मर्द व औरत की बराबरी मानी गयी है) की दुहाई भी सुनाई देती है। लेकिन जरा उन लोगों से कोई पूछे कि बराबरी का क्या मतलब है कि बिना अपवाद हर अवसर पर उनके प्राकृतिक और लैंगिक फर्क को नज़रअंदाज करते हुए मर्द व औरत के दर्मियान समान व्यवहार किया जाए अगर जवाब हाँ मिले तो दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि बताया जाए! आप लोगों ने ऐसी बराबरी कब और कहाँ बरती। और आंकड़ों की रौशनी में उनसे जवाब लिया जाना चाहिए कि आपके आईडियल देशों यानी यूरोप वगैरह में अब तक उच्च पदों पर नियुक्त होने वालों में मर्दों व औरतों का क्या अनुपात रहा है। कितनी औरतें अब तक प्रधानमंत्री बनाई गईं, कितनी फौज की आला ओहदेदार, कितनी कमांडर इन चीफ, कितनी पाइलट और जाने दीजिये सिर्फ यही बता दिया जाए कि फौज के अंदर बड़े ओहदों पर नहीं, मामूली ही ओहदों पर कितनी औरतें नियुक्त हैं। यकीन रखना चाहिए! जवाब दिया गया तो यही होगा कि.....एक भी नहीं!!!..... (या सिर्फ एक आध) बताने की ज़रुरत नहीं कि यूरोप व अमरीका में से सिर्फ इंग्लैंड में एक महिला (मिसेज थ्रेचर).... जिनके ज़माने में इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी थी। प्रधानमंत्री बनीं, जबकि ऐशिया में आधे दर्जन से ज़ियादा बन चुकी हैं। हाल ही में अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में एक बहुत ही मशहूर और सम्मानित महिला (हिलेरी क्लिंटन) पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति की पत्नी मैदान में थीं मगर वो निर्वाचित न हो सकीं बल्कि शुरुआती चरणों में ही हार गईं।

इस आधार पर बिना भय व शंसय के कहा जा सकता है कि मर्द व औरत की बनावट में फर्क, लैंगिक अंतर और बहुत सी हैसियतों से दोनों में भेद बल्कि उनके विरोधाभास को सामने रखते हुए भी दोनों के बीच हर स्तर पर बराबरी का नारा भ्रात्मकता और ना समझी के सिवा कुछ नहीं।

इस अवसर पर मेरे उस्ताद अल्लामा इब्राहीम बलियावी रह० (पूर्व प्रधानाध्यापक दारुल उलूम देवबंद) की एक बहुत ही जँची–तुली और मज़बूत ये बात याद आती है जो हज़रत ने एक दिन पढ़ाते समय इस्लाम में बराबरी का मतलब बताते हुए फरमाई।

इस्लाम में ''बराबरी'' का अर्थः–

''बराबरी का अर्थ'' क़ानून में बराबरी नहीं बल्कि क़ानून लागू करने में बराबरी बरतना है।

हज़रत अल्लामा का मतलब ये है कि दोनों के प्राकृतिक अंतर और ज़रूरी लैंगिक भिन्नता को सामने रखते हुए ये तो सम्भव ही नहीं कि हर क़ानून दोनों के लिए समान हो बल्कि अस्ली फर्क का लेहाज करते हुए कुछ कानूनों में फर्क करना ज़रूरी है लेकिन लागू करते समय किसी को सिर्फ लैंगिक भिन्नता के आधार पर न प्राथमिकता दी जाएगी न तरजीह हासिल होगी और उनमें

से किसी को सिर्फ इस फर्क की बिना पर नजरअंदाज भी नहीं किया जाएगा। इस बसीरत (अंर्तदृष्टि) से भरी हुई बात की रौशनी में बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर..... (अगर वो बुद्धिजीवियों ने बनाया है) में जिस लैंगिक भिन्नता की बुनियाद पर मर्द व औरत में फर्क़ न करने पर ज़ोर दिया गया है और दोनों के बीच बराबरी मानी गई है उसका मतलब भी कुछ फर्क़ के साथ ऐसा या यही होना चाहिए वो नहीं जो ''प्रगतिशील'' लोग आमतौर पर कहते हैं और लोगों के जेहनों में बैठाना चाहते हैं क्योंकि वो न सद्बुद्धि के अनुकूल है न तत्थ्यों से ही मेल खाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया के बहुत से बल्कि अक्सर उल्लेखनीय देशों में ये क़ानून मौजूद है और इसी पर अमल है कि बीवी का ख़र्चा पति के जिम्मे है मगर ऐसा कहीं नहीं सुना गया की पति का ख़र्चा बीवी के जिम्मे हो (कुछ अपवाद और मजबूरी की हालातों को छोड़ कर) जाहिर है कि ये फर्क अस्ल में लैंगिक भिन्नता की बिना पर ही है, किसी और वजह से नहीं। तो क्या ये देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन करने वाले माने गए या माने जाऐंगे।

दुश्मनी और पक्षपात की बात तो अलग है वैसे इन तथ्यों की रौशनी में किसी समझदार को मुश्किल ही से दोनों के दरम्यान हर स्तर पर बराबरी का नारा लगाने की जुरअत होगी।

मर्द व औरत के बीच बराबरी में इस्लाम का दृष्टिकोणः–

हम इस बात को ज़ाहिर करने में भी किसी माफी मांगने की ज़रुरत नहीं समझते और ना झिझकते हैं कि इस्लाम ने स्पष्ट रूप से औरत व मर्द के बीच कुछ हुक्मों में उनके शारीरिक व प्राकृतिक अंतर के आधार पर फर्क किया है और उसका बयान कुरआन की आयतों में भी है और हदीसों में भी और उन्हीं आधार पर उम्मत के सभी उलमा की बातों में भी इसको माना गया है जिसका विवरण लिखने से बात लम्बी हो जाएगी यहाँ सिर्फ इशारे किये जाएंगे।

कुर्आन व हदीस का बयानः–

कुरआन मजीद की आयतों से दोनों के दर्जों में फर्क का सबूत–

अनुवाद– ''मर्दों को औरतों पर तरजीह हासिल है। मर्द औरतों के निगरां (पर्यवेक्षक) और मुखिया हैं क्योंकि प्राकृतिक रूप से अल्लाह तआला ने एक को दूसरे पर तरजीह दी है और इसलिए भी कि मर्द ही (औरतों पर) खर्च करते और उनके खर्चे बर्दाश्त करते हैं।''

हदीसों में मर्द व औरत के पैदाइशी व शारीरिक फर्क का बयानः–

अनुवाद– ''मैंने बुद्धि व दीन दोनों में नाकिस (होने के बावजूद इन) औरतों से ज़ियादा बहुत ही समझदार मर्द की बुद्धि पर पर्दा डाल देने वाला किसी को नहीं देखा।''

अनुवाद– ''औरतों से अच्छा बर्ताव करने की बात मानो'' औरत पसली से पैदा की गई है। और सब से ज़ियादा टेढ़ापन ऊपर की पसली में होता है तो अगर तुम उसे सीधा करने लगोगे तो तोड़ दोगे और यूँही छोड़ दोगे तो टेढ़ापन बाकी रहेगा (और निबाह होता रहेगा) इसलिए दोबारा नसीहत करता हूँ कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करने की सलाह मानो।''

मतलब ये है कि औरत के मिजाज़ में थोड़ा टेढ़ापन है जो जिद वगैरा के रूप में अक्सर सामने आता रहता है, तो इस कमज़ोरी में उसे मजबूर समझो क्योंकि ये उसकी पैदाइशी कमज़ोरी है जो कोशिश से भी दूर न होगी। ज़ियादा रोक टोक करने और सीधे रास्ते पर लाने की कोशिशों का नतीजा रिश्ता टूट जाने के रूप में निकल सकता है।

उम्मत के बड़े आलिमों की बातें:–

उम्मत के उलमा की सारी बातों का लिखना बहुत मुश्किल है इसलिए यहाँ सिर्फ दो आलिमों के बयान लिखे जाते हैं –

1. मौलाना काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती कहते हैं:–

अनुवाद:– (कुरआन का) शब्द ''कव्वाम'' मुबालगह का शब्द है जिसका अर्थ है हर किस्म की भलाई और उपाय व सुधार का ज़िम्मेदार।

औरत के साथ खैरख्वाही का बर्ताव करने और उसकी सारी ज़रूरतों की जिम्मेदारी और निगरानी मर्दों पर है और ये जिम्मेदारी दो वजहों से है एक वजह खुद से हासिल की हुई है और दूसरी अल्लाह की दी हुई और प्राकृतिक अल्लाह की तरफ से मिली हुई तो ये है कि अल्लाह तआला ने बुद्धि में कमाल, बेहतर उपाय, ज्ञान में व्यापकता और शारीरिक ऊर्जा व कठिन कामों की ज़ियादा सामर्थ्य और उच्च योग्यता ये खूबियां मर्द को औरत के मुकाबले में पैदाइशी तौर पर ज़ियादा ही दी हैं। इसलिए नबी मर्दों में ही आये। इसी तरह वरासत में ज़ियादा हिस्सा, निकाह में मालिकाना अधिकार चंद बीवियां रखने की योग्यता और तलाक का अधिकार हासिल होना मर्दों ही के साथ खास है ये तो हुई खुदा की तरफ से मिली हुई विशिष्टाताएं इसके अलावा निकाह में महर का पैसा देना और बीवी के सारे खर्चे बराबर बर्दाश्त करना वगैरा। वरीयता के खुद हासिल किये हुए और व्यावहारिक कारण हैं।

2. हाफिज इब्ने कय्यिम जौजी रह० लिखते हैं :–

अनुवाद– अल्लाह तआला ने एक मर्द की जगह पर दो औरतों की गवाही का हुक्म इसलिए दिया है ताकि यह औरतों की याददाश्त में कोताही की भरपाई हो जाए क्योंकि आमतौर पर दो औरतों की अक़्ल और उनकी याददाश्त एक मर्द की अक़्ल और उसकी याददाश्त के बराबर होती है। इसलिए औरत का मर्द के मुकाबले में वरासत दियत (खून का बदला) और अकीके में आधा हिस्सा है और सही हदीस की रौशनी में एक मर्द का आज़ाद करना दो औरतों की आज़ादी के बराबर है। (सवाब में)

नबी–ए–अकरम सल्ल0 की बयान की हुई हक़ीक़त की समझ अब फिजिक्स और साइकॉलोजी के जानकारों को भी होने लगी है। लिहाजा उन्नीसवीं सदी की बड़ी इनसाइक्लोपीडिया के अंदर कहा गया है:–

''औरतों की शारीरिक बनावट बच्चों की शारीरिक रचना से बहुत करीब होती है। इसलिए आमतौर पर देखा जाता है कि वो बच्चों ही की तरह बहुत जल्द प्रभावित होती हैं और भड़क जाती हैं। तकलीफ़ व आराम डर व खुशी के एहसास जल्द ही उस पर तारी हो जाते हैं और क्योंकि उस में समझदारी और चिनंतन मनन की शक्ति को ज़ियादा दखल नहीं होता इसलिए जल्द ही ये असर उस पर से खत्म भी हो जाते हैं और अक्सर टिकाऊ साबित नहीं होते। इसलिए औरत बहुरुपी प्रवृत्ति और अस्थिर स्वभाव की होती है।

मशहूर कम्युनिस्ट दार्शनिक बुरुदवून कहता है:–

''औरत की संवेदना मर्द की संवेदना से कमज़ोर होती है। जितनी कि उसकी बुद्धि मर्द की बुद्धि से कम होती है, उसके नैतिक मानक भी मर्द से अलग होते हैं इसलिए बिलकुल जरूरी नहीं कि जिसको वो अच्छा या बुरा बताए वास्तव में वो अच्छा या बुरा ही हो''।

.....जारी.....

❖❖❖

एहराम की हालत में जो चीज़ें मना हैं

इदारा

1. औरत से हम–बिस्तरी और वह बातें जिन से हमबिस्तरी की ख़्वाहिश पैदा हो।

2. अपना या किसी का सर या दाढ़ी मूण्डना या तराशना और बदन के किसी हिस्से का बाल दूर करना ख्वाह मून्ड कर या किसी और तरीक़े से।

3. नाखुन तराशना या तरशवाना।

4. सिला हुआ कपड़ा पहनना।

5. मोजे या पैताबे पहनना।

6. खुशबू मलना या खुशबूदार चीज़ में रंगा हुआ कपड़ा पहनना।

7. सर या मुंह या उनके किसी हिस्से को या नाक को कपड़े से ढ़ाँकना।

8. खुश्की के जानवर का शिकार करना या पकड़ना या शिकार में मदद देना वगैरह।

9. जुएं मारना या कपड़े से निकाल कर फेंकना या दूसरे को देना या जिस कपड़े में जुएं पड़ी हों उस को धूप में डालना कि जुएं मर जाएं।

10. सर या बदन में जैतून या तिल का तेल इस्तेमाल करना।

11. हर गुनाह के काम से बचना।

औरतें सिले कपड़े पहनेंगी, सर ढ़केंगी, चेहरा खुला रखेंगी, पंखे आदि से चेहरा छुपा सकती हैं मगर पंखा चेहरे से अलग रहे।

एहराम की हालत में जो चीज़ें मना नहीं हैं:-

1. एहराम की हालत में घरेलू जानवरों का ज़ब्ह करना जैसे बकरी या मुर्गी का ज़ब्ह करना मना नहीं है।

2. हिन्दोस्तान में जो जूते आम तौर पर पहने जाते हैं अगर उन से पैर की उभरी हुई हड्डी नहीं छुपती तो उन का पहनना एहराम में जाइज है। अच्छा यह है कि एहराम की हालत में हवाई चप्पलें पहनी जाएं।

3. ऐसा खाना जिसमें खुश्बू डाल कर पकाया गया हो उस का खाना जाइज है।

ज़मज़म के पानी की फ़ज़ीलत:-

हज़रत जाबिर रज़ि0 ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अनुवाद :– ''ज़मज़म से वह मिलता है जिस के लिए वह पिया जाता है''।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, अनुवादः– ''ज़मीन पर सब से अच्छा पानी ज़मज़म का पानी है''।

कीमियाई तहकीकात में और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि ज़मज़म का पानी उन अजजा पर मुश्तमल है जिन से जिगर, मेदा, आँतों और गुर्दों को लाभ पहुंचता है कम पीने से भी फाइदा होता है और ज़ियादा पीना मुफीद है और इस में कोई नुक़सान नहीं।

(हज़ व मुकामाते हज से ग्रहीत)

❖❖❖

हिजाब

अरशद अली नदवी

इस्लाम में निम्नलिखित चारों दलीलों में से किसी एक को मद्देनज़र रखते हुए निर्णय लिये जाते हैंः–

(1) कुर्आन (2) हदीस (3) इज्मा (4) क़यास

इसका प्रमाण पवित्र कुरआन में मौजूद है, अल्लाह आदेश देता है–

''ऐ ईमान वालो! अल्लाह का अनुसरण करो और सन्देष्टा का अनुसरण करो और उनका अनुसरण जो तुममें ज़िम्मेदार है, फिर अगर किसी चीज़ में तुम झगड़ पड़ो तो उसको अल्लाह और रसूल की ओर फेर दिया करो यदि तुम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज़ से बढ़िया है''।

कुर्आन की इस आयत में अल्लाह के अनुसरण से तात्पर्य कुरआन, रसूल के अनुसरण से आशय हदीस, सुन्नत ''उलिल आम्र से मतलब ''इज्मा'' और विभिन्नता और विभेद वाले मसलों को अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने से तात्पर्य क़यास है।

इन चारों की परिभाषा आगे प्रस्तुत की जाती हैः–

कुर्आनः– ये अल्लाह की वाणी है जो अल्लाह के दूत हज़रत जिब्रईल अलै0 के माध्यम से अन्तिम सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद सल्ल0 पर 23 वर्ष के अंतराल में अवतरित हुई।

हदीसः– हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कथन और क्रिया को हदीस कहते हैं, इसी प्रकार कोई काम या बात मुहम्मद सल्ल0 के सामने की गई और आपने उसे मना नहीं किया तो वह भी हदीस कहलाएगी।

इज्माः– इज्मा कहते हैं कि किसी भी ज़माने और दौर में किसी भी मसले पर सभी इस्लामी शास्त्रवेत्ता (मुजतहिद) की राय एक हों तो इस सर्वसम्मति को इज्मा कहते हैं।

क़यासः– क़यास का मतलब ये है कि ऐसे मसले जिनका वर्णन और व्याख्या कुर्आन व हदीस में न हो, उनको कुर्आन व हदीस में वर्णित मसलों से मुक़ाबला करके उनका हल निकालना।

इस बात पर सभी इस्लामी विद्वानों का एक मत है कि दुनिया में जब कोई घटना (वाक़या) पेश आएगा तो उसका हल सर्वप्रथम कुरआन में ढूंढा जाएगा, यदि उसमें उस सम्बन्ध में कोई आदेश मौजूद हो तो उसको जारी किया जाएगा और अगर उसमें उसका आदेश मौजूद न हो तो फिर हदीस शरीफ को देखा जाएगा। यदि उसमें उसका आदेश मौजूद हो तो उसको जारी किया जाएगा। अगर इसमें भी उस घटना से सम्बन्धित कोई हुक्म मौजूद न हो तो देखा जाएगा कि क्या किसी काल में इस्लामी शास्त्रवेत्ता ने इस घटना के सम्बन्धित किसी आदेश पर इज्मा किया है? तो फिर यदि उस मसले में इज्मा मिल जाए तो उसको जारी किया जाएगा और अगर इसके सम्बन्धित इज्मा भी न मिले तो फिर ''क़यास'' का नम्बर आता है, अतः उसमें कयास किया जाएगा।

एक हदीस में है कि जब हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने मशहूर सहाबी मुआज़ बिन

जबल को यमन का गवर्नर बना कर भेजा तो पूछा कि जब कोई केस सामने होगा तो कैसे फैसला करोगे? हज़रत मुआज ने जवाब दिया कि अल्लाह की किताब (कुर्आन) से निर्णय सुनाऊँगा। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने पूछा यदि तुम्हें इसका आदेश कुरआन में न मिले तो क्या करोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि फिर हदीस की रौशनी में फैसला करूँगा। आप सल्ल0 ने पूछा, अगर तुम्हें इस मामले का हल हदीस में भी न मिले तो फिर क्या करोगे? उन्होंने जवाब दिया फिर कुरआन व हदीस में चिन्तन मनन करके अपनी राय से फैसला करूँगा। हज़रत मआज़ रज़ि0 के इस बेहतरीन जवाब पर आप सल्ल0 ने उनकी तारीफ व प्रसंशा की।

(अबू दाऊद हदीस नं0 3594)

इस हदीस में केवल तीन दलीलों का वर्णन है, कुर्आन, हदीस और क़यास, इज्मा का ज़िक्र नहीं है। उसका कारण ये है कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के जीवन काल में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि आप सल्ल0 की उपस्थिति में इस्लामी विद्वानों को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि किसी मसले में बिना उनके इज्मा करें। हाँ! आप सल्ल0 के इस दुनिया के छोड़ने के पश्चात इसकी ज़रूरत महसूस हुई अतः प्रथम खलीफ़ा हज़रत अबू बक्र रज़ि0 की आदत थी कि जब कोई मुकदमा उनके सामने पेश होता तो सबसे पहले उसका हल कुरआन में तलाशते यदि उसमें उसका हल मिल जाता तो उसके अनुसार निर्णय करते। अगर उसमें उसका हुक्म न मिलता तो फिर हदीस में उसका आदेश तलाशते, अगर उसमें उसका हल मिल जाता उसके अनुसार निर्णय देते और अगर उस मुकदमे का हल कुर्आन व हदीस दोनों में न मिलता तो फिर इस्लामी विद्वानों को एकत्रित करते, उनसे सुझाव लेते, फिर उन सबकी सर्वसम्मति से निर्णय सुनाते।

(मुस्नद अहमद–22100)

प्रथम खलीफा के इस अमल से इज्मा का प्रत्यक्ष सबूत मिलता है, फिर यही सिलसिला अन्य खलीफा के दौर में भी जारी रहा। इसी तरह इज्मा के शरई दलील होने की एक मज़बूत हदीस यह भी है कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्ल0 ने कहा, मेरी उम्मत गलती पर कभी सहमत नहीं होगी। अर्थात मेरी उम्मत यदि किसी मसले पर एकमत और सहमत हो जाए तो समझ लो कि वह मसला हक़ है, गलत नहीं हो सकता।

इज्मा के शरई दलील होने पर भारी सबूत पवित्र कुर्आन की एक आयत का टुकड़ा है–

''जो ईमान वाले के रास्तों से हट कर चलेगा तो वह जिधर भी रुख करेगा उसी रुख पर हम उसको डाल देंगे और उसको जहन्नम रसीद करेंगे और वह बदतरीन ठिकाना है''।

अब मैं अपने मूल विषय की ओर लौटता हूँ कि क्या हिजाब करना अर्थात महिला का अपने सर के बालों को ढकना उन चारों शरई दलीलों से साबित है या नहीं अगर साबित है तो फिर उसका आदेश किस श्रेणी का है जिसके इन्कार से कुफ्र और न करने से गुनाह होता है अथवा केवल स्वैच्छिक मुद्दा या मसला है?

तो इसका उत्तर ये है कि किसी भी इस्लामी आदेश के लिए उन चारों दलीलों में से

केवल एक दलील से उसका सबूत काफी है, लेकिन ये सुन्दर संयोग है कि बहुत से मसलों की तरह हिजाब का मसला उन चारों शरई दलीलों से साबित है, जिससे हिजाब की अहमियत और अनिवार्यता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

अब शरई दलीलों की रौशनी में इसका जायज़ा लेते हैं।

पर्दा का आदेश पवित्र कुर्आन में:–

अल्लाह का आदेश है– ऐ नबी अपनी पत्नियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की बीबियों से कह दीजिए कि वह अपनी ओढ़नियाँ अपने ऊपर लटका लिया करें। (सूरः अहज़ाब आयत नं0–59)

इस आयत से स्पष्ट हुआ कि पर्दे का आदेश केवल नबी की पत्नियों के लिए नहीं है बल्कि सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए है कि जब वह बाहर निकलें तो अपनी चादरें अपने सरों पर डाल कर अपने बालों, चेहरे और सीना आदि को छुपा लिया करें।

इस आयत की व्याख्या में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं– ''अल्लाह ने मुसलमान महिलाओं को आदेश दिया कि जब वह किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों को अपने सरों पर से डाल कर अपने चेहरों को छुपा लें, केवल आँख खुली रखें''।

(तफ़्सीर इब्ने कसीर)

इस आयत की व्याख्या से स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम औरतें अपने पूरे शरीर की तरह अपने सर, सीना और चेहरे के अधिकतर भाग को भी छुपाएं केवल आँखें खुली रख सकती हैं ताकि वह उनकी मदद से देख सकें और ये ताकीदी हुक्म है। अतः हिजाब करना अनिवार्य है।

पर्दा का आदेश हदीस की रौशनी में:–

हज़रत मुहम्मद सल्ल0 का कथन है, औरत मुकम्मल सतर है अर्थात नारी छुपाए जाने योग्य है। (तिर्मिजी हदीस नं0 1173) अतः महिला को अपने समस्त शरीर छुपाना अनिवार्य है, इसलिए औरत को चाहिए कि वह अपने पूरे बदन को लोगों की नज़रों से छुपाए रखे, हाँ! दूसरी हदीसों के मद्देनज़र कुछ विद्वानों ने चेहरा और दोनों हथेलियों को खोले रखने पर सहमति जताई है लेकिन इन तीनों के अलावा शरीर के शेष सभी अंगों को छुपाए रखने पर सभी एकमत हैं।

पर्दा का आदेश इज्मा–ए–उम्मत की रौशनी में:–

इस्लाम के आरम्भ से लेकर आजतक हर दौर के इस्लामी शास्त्रवेत्ता ने महिला के सर को छुपाने योग्य माना है और उसके अनिवार्य होने पर एकमत हैं, अतः ये शरीअत का इज्माअी मसला हुआ और इज्मा सिद्धांत में है कि इज्माअ़ी मसला कुरआन की तरह स्पष्ट और पूर्ण होता है, उसे स्वीकार करना और उस पर अमल करना ज़रूरी होता है और उसका इंकार कुफ़्र है। अर्थात यदि कोई लड़की हिजाब नहीं करती, अपने सर के बालों को नहीं छुपाती तो वह इस्लाम के एक ज़रूरी आदेश को छोड़ने वाली हो कर गुनहगार होगी और यदि वह इस बात से इन्कार कर बैठती है कि हिजाब करना इस्लामी आदेश है तो वह कुफ़्र करने वाली होगी और इस्लाम से खारिज़ हो जाएगी।

अब आप बताएं कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य भाग है या नहीं? इससे बढ़ कर ज़रूरी बात क्या हो सकती है कि जिसके इन्कार से कुफ़्र और

जिस पर अमल न करने से गुनाह और अल्लाह की नाराज़गी उतरती हो।

पर्दा का आदेश क़यास की रौशनी में:–

ये कैसे मुम्किन हो सकता है कि जो मज़हब व्यभिचार को बढ़ावा देने वाले तत्व का एक–एक करके विरोध करता हो, जो नामहरम (ऐसे महिला पुरुष जिन्हें एक दूसरे को देखना जाएज़ नहीं। महिला को देखने पर पाबन्दी लगाता हो, जो मर्द औरत को तंहाई में इकट्ठा होने से रोकता हो, जो महिला को किसी ग़ैर मर्द से बात करते समय नर्म लहज़ा अपनाने से मना करता हो, वह मज़हब चेहरा और सर खुला रखने की इजाज़त दे दे जबकि दरअसल चेहरा ही किसी महिला के व्यक्तित्व और उसकी सुन्दरता का पता देता है। अतः जिस प्रकार इस्लाम बुराई की छोटी–छोटी बातों से महिला को दूर रहने को कहता है उसी तरह चेहरा और सर को छुपाने की भी ताकीद और हुक्म देता है ताकि बुराईयों से बचाव हो जाए।

कुल का सार ये है कि औरत के लिए हिजाब करना अर्थात ग़ैर मर्दों से अपने चेहरे को छुपाना शरीअत की चारों दलील, कुरआन, हदीस इज्मा और क़यास सबसे साबित है।

हाँ! चेहरे को छुपाने को लेकर इस्लामी विद्वानों में एक राय नहीं है लेकिन सर को छुपाने को ले कर सभी एक मत हैं।

अतः ये हुक्म कुर्आनी और इज्माई मसला होने के कारण अनिवार्य और फर्ज़ हुआ, इसलिए हिजाब के इन्कार से कुफ़्र अर्थात इस्लाम से खारिज होना अनिवार्य हो जाता है और हिजाब न करने से गुनाह होता है।

अब अगर माननीय न्यायाधीश, अधिवक्ता और प्रबुद्धजन इस बात को स्वीकार कर लें और कहें कि ठीक है हम मानते हैं कि हिजाब करना अर्थात महिला का अपने सर को छुपाना इस्लाम का इतना ज़रूरी हिस्सा है कि उसके इन्कार से इस्लाम से खारिज हो जाता है और हिजाब न करने से गुनहगार ठहरता है लेकिन देश के किसी भी कालेज या स्कूल को ये अधिकार प्राप्त है कि वह जैसा चाहे अपना यूनिफार्म लागू करे और उसमें पढ़ने वाले हर स्टूडेण्ट्स को इसका पालन करना ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा कि आपकी ये राय स्वयं देश के कानून के खिलाफ़ है, क्योंकि संविधान के अनुसार देश के हर नागरिक को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी हासिल है, अतः देश के अन्दर कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह उस पर चलने और अनुसरण करने से रोक नहीं सकता, यदि वह ऐसा करते हैं तो वह देश के एक नागरिक को संविधान से रोकने वाले होंगे, क्योंकि किसी भी संस्था और संगठन को ये अधिकार नहीं है कि वह अपनी संस्था में ऐसा क़ानून बनाए जो संविधान के विरुद्ध हो। चूंकि देश के हर नागरिक को संविधान धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने और उस पर चलने की आज़ादी देता है, अतः यदि कोई कॉलेज अपने यहाँ ऐसा कोई रूल बनाता है जो उस देश के किसी धर्म के विरुध है और उसके कारण उस कॉलेज में उस धर्म के स्टूडेण्ट्स के लिए दिक्कतें हैं तो चाहिए कि वह अपना रुल चेंज करे अन्यथा वह देश विरोधी और संविधान विरोधी कहलाएगा।

❖❖❖

उच्च न्यायाधीश को सलाम

वदूद साजिद

आज 11 मई 2022 ई0 को सुप्रिम कोर्ट ने अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय खोला है, सुप्रिम कोर्ट ने वह काम किया है जो इस देश को स्वतंत्रता मिलने के तुरन्त बाद न्याय प्रिय विधान बनाने वाली संस्थाओं को कर देना चाहिए था, सच पूछिए सुप्रिम कोर्ट ने एक इतिहास लिख दिया है, एक ऐसा इतिहास कि जिसे इस ज़माने में लिखने के लिए क़लम काग़ज़ की नहीं बल्कि लोहे के ज़िगर की ज़रूरत है। इसके लिए चीफ़ जस्टिस आफ़ इण्डिया एन0बी0 रमना को इस देश के हज़ारों लाखों मज़लूमों की ओर से सौ–सौ सलाम पेश करने को जी चाहता है।

पिछली सात दहाइयों से भी आधिक इस देश के राज्यों ने देश द्रोह की धारा 124 ए. का बिना हिचकिचाहट प्रयोग किया, इस धारा के प्रयोग में सभी सियासी पार्टियाँ भागीदार हैं, लेकिन पिछले सात आठ वर्षों में इसका जिस बड़े पैमाने पर नाजाएज़ इस्तेमाल हुआ है उसका कोई उदाहरण निकट वर्षों में नहीं मिलता, अंग्रेज़ों के शासन काल में इसका प्रयोग दिल खोलकर आज़ादी के मतवालों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों के लिए हुआ, परन्तु इस समय इसका प्रयोग उन राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध किया गया जिन्होंने शासन के कार्य प्रणाली का विरोध किया यहां तक कि कोरोना के ज़माने में जिन राजनैतिक पार्टियों ने शासन को उसकी असफलताओं की ओर ध्यान दिलाया तो पुलिस ने उसके विरुद्ध भी धारा 124 ए0 के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिए, इस तरह के कई मुक़दमात सुप्रिम कोर्ट के सामने आये और अदालत की विभिन्न बेंचों ने इस धारा के नाजाएज़ इस्तेमाल पर अपनी नागवारी का इज़हार किया है, ताज़ा उदाहरण चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इण्डिया का है जिन्होंने इस धारा के नाजाएज़ इस्तेमाल की तुलना लकड़ी काटने वाली लोहे की उस आरी से किया जो कोई चीज़ बनाने के लिए बढ़ई को दी जाती है और वह केवल कोई पेड़ काटने के बजाए पूरा जंगल ही काट देता है। वर्तमान शासन शुरु में नहीं चाहती थी कि इस धारा के विरुद्ध सुप्रिम कोर्ट आइनी और क़ानूनी जाइज़ा ले, उसने अपना मुद्दा पेश करते हुए एक हलफ़ नामा भी दाख़िल कर दिया था, जिसमें कहा था कि वह इस धारा पर समीक्षा करने या कोर्ट द्वारा उस पर ग़ौर करने के हक़ में नहीं है, लेकिन जब उसने कोर्ट का रवय्या देखा तो एक दूसरा हलफ़नामा दाख़िल करके वादा किया कि वह इस धारा पर समीक्षा करने को तैयार है, यही नहीं अटॉर्नी जनरल को यह इल्म भी हो गया कि इस धारा का नाजाएज़ इस्तेमाल भी हो रहा है उन्होंने इसकी मिसाल उदाहरण देते हुए बताया कि ''हनुमान चालीसा'' पढ़ने तक के विरुद्ध इस धारा के तहत ग़द्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप को याद होगा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के ज़रिये मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अज़ान का मसला उठाने के बाद आज़ाद मेम्बर पार्लीयामेन्ट नवनीत राना और उनके शौहर एम0एल0ए0 ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर के सामने ''हनुमान चालीसा'' के पढ़ने की ज़िद की थी, इसके अलावा राज ठाकरे ने भी ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अज़ान देने का सिलसिला न थमा तो उनके लोग हर मस्जिद के आगे लाउडस्पीकर पर ''हनुमान चालीसा'' पढ़ेंगे, हुकूमत महाराष्ट्र ने नवनीत राना और

उनके शौहर के खिलाफ़ इस तरह की धाराओं के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया था, लिहाज़ा अटॉर्नी जनरल ने इस वाक़िये को इस धारा पर ग़ौर करने और केन्द्र सरकार के परिवर्तित मुद्दे के औचित्य के तौर पर पेश किया था और यह बताने की कोशिश की थी कि केन्द्र सरकार इस सिलसिले में बहुत सन्जीदा है लेकिन चीफ़ जस्टिस ने केन्द्र सरकार को उसी के घेरे में क़ैद कर दिया। आज अदालत ने अपने हुक्म में अटॉर्नी जनरल के ज़रिये प्रस्तुत इस उदाहरण को उदाहरण के रूप में शामिल किया है और अदालत के ज़रिये इस धारा के इस्तेमाल पर अंतरिम पाबन्दी के औचित्य पर इसी उदाहरण को पेश किया, अदालत ने तमाम लंबित मुक़दमात को आगे बढ़ाने पर तो पाबन्दी लगा दी इसके साथ कोई भी नई एफ.आई.आर इस धारा के तहत उस समय तक नहीं लिखी जा सकेगी जब तक हुकूमत उस पर पुनरीक्षण करके किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाती।

बहर हाल इस विषय पर बहुत तफ़सील से लिखने की आवश्यकता है, बहुत से लिखने वाले लिखेंगे और आलोचना करेंगे, इस समय सबसे अहम बात यह है कि सुप्रिम कोर्ट ने पूरी ताक़त से दिखाया है कि ताक़तवर हुकूमत भी उसके सामने बेबस हो जाती है, सुप्रिम कोर्ट ने इस देश के दस हज़ार से अधिक उन लोगों को राहत देने का सामान फ़राहम कर दिया है जो इस कठोर धारा के तहत जेलों में सड़ रहे हैं। इस धारा के तहत दो साल से पहले कोई मुलज़िम अदालत के रूबरू अपनी दास्ताने रंज व अलम ले कर नहीं आ सकता, यानी उसे दो साल से पहले ज़मानत मिलने का कोई इमकान नहीं होता, लेकिन अब सुप्रिम कोर्ट के हुक्म के अनुसार ऐसे तमाम पीड़तों को स्थानीय अदालतों से रुजू करने का हक़ दे दिया गया है। अभी यह विवाद ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन यह एक बहुत ही ऐतिहासिक चरण है, इसके लिए चीफ़ जस्टिस एन.वी. रमन. तमाम उत्पीड़ितों की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं।

(इंकलाब उर्दू 12.05.2022 से ग्रहीत)

❖❖❖

यादगारे मदीना

अज़ीजुल हसन मजजूब

कहाँ हिन्द में वो बहारे मदीना
बस अब मैं हूँ और यादगारे मदीना
मेरा दिल है इक इख्तिसारे मदीना
कि इस में बसा है दयारे मदीना
ज़हे इज़्ज़तो इफ्तिख़ारे मदीना
शहे दो जहाँ ताजदारे मदीना
है अर्श आशियाँ ख़ाक्सारे मदीना
है कुर्सी नशीं जो है ख्वारे मदीना
करें कुछ यूं ही शौके़ दिल अपना पूरा
करें आओ ज़िक्रे दयारे मदीना
वह हर सू खजूरों की दिलकश क़तारें
वो कुहसार वो सब्ज़ा ज़ारे मदीना
वो मस्जिद, वो रौज़ा, वो जन्नत का टुकड़ा
खुशा मंजरे पुर बहारे मदीना
नगीना ज़मुर्रद का है सब्ज़े गुंबद
और अंगुशतरी कोहसारे मदीना
वो दिन हासिले ज़िन्दगी हैं जो गुज़रे
बा आग़ोशे लैलो नहारे मदीना
कहाँ जी लगे मेरा बागे जहाँ में
है आखों में मेरी बहारे मदीना
कहीं जाऊँ तैबा ही पेशे नज़र है
मुझे कुल जहाँ है जवारे मदीना
इधर देख इधर ऐ मेरी चश्मे हसरत
मैं दिल में लिये हूँ बहारे मदीना
वहाँ से मैं हुब्बे नबी सल्ल0 दिल में लाया
यही तोहफ़ा है यादगारे मदीना
मयस्सर हो फिर इसको या रब ज़ियारत
कि मजजूब है अश्कबारे मदीना

❖❖❖

मोबाईल की आप बीती

हादिया जुनैद

मुझे बेज़बान समझ कर, सब मुझ से चिपक जाते हैं, कभी कोई तो कभी कोई! हाँ तो गुज़ारा भी तो नहीं ना, मेरे बिना।

जैसे घर का कोई ऐसा नौकर हो, जो सारे ही काम अपने ज़िम्मे ले ले। बस यही समझ लिया मुझ को भी सबने। कैमरा मेरे अन्दर, कैल्कुलेटर मेरे अन्दर, अब तो टीवी भी, बुजुर्ग सही कहा करते थे, कभी हद से ज़ियादा अच्छा होने की भी क़ीमत चुकानी पड़ती है।

जब शुरु के दिनों में मैं बहुत मोटा हुआ करता था, मैं बहुत सादा था, लोग ज़ोर ज़ोर से मेरे बटन दबाते थे। अपनी अहमियत बताने के लिए, और क्या कहूँ, जानें गयी हैं मेरे लिए। सुबह लोग और कोई काम बाद में करते हैं, मेरा हाल अहवाल पहले पूछते हैं, सगे रिश्तों से बढ़ कर प्यारा हूं मैं लोगों को।

पहले ज़माने में घर के बुजुर्गों को शिकायत होती थी, कई बच्चे हमें समय नहीं देते, अब तो बस मेरी बैट्री फुल करके मुझे बुजुर्गों को थमा देते हैं, और बुजुर्ग आराम से फ़ेसबुक, यूट्यूब पर तफ़रीह करते रहते हैं, बच्चे भी ख़ुश, बुजुर्ग भी ख़ुश और मेरी परवाह ही नहीं किसी को। हाँ मैं बता रहा था कि मैं बहुत मोटा हुआ करता था, फिर मैंने शायद डाइटिंग की या मुझे डाइटिंग करवाई गई, मैं दुबला भी हो गया, स्मार्ट भी हो गया और कुछ महंगा भी, फिर मंहगा होता गया, होता गया, मेरे हर नये मॉडल को देख कर पुराने मॉडल पर उंगली उठाई जाती, मगर मुझमें तो ज्ञान का ख़ज़ाना छिपा है, बस मेरे इस्तेमाल पर बात है, किसी के उंगली उठाने से मैं दिल को छोटा नहीं करता। कुछ लोग आप पर उंगली उठाना ही अस्ल कामयाबी समझते हैं क्या करें। हाँ तो मैं कह रहा था कि मेरे अन्दर ज्ञान के ख़जाने छुपे हैं, कोई अच्छी वीडियोज़ देख कर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, कोई मौलवी साहब का ब्यान सुन कर अपने दीन के क़रीब होता है, कोई ख़राब वीडियोज़ देख कर अपने गुनाहों में वृद्धि करता है और ये याद नहीं रखता कि अकेले में किए जाने वाले गुनाह इन्सान की सारी नेकियाँ खत्म कर देंगे। अल्लाह सब की हिफ़ाज़त करे, आमीन।

मुझे कभी कभी अपना पता बताए जाने पर भी बड़ी हंसी आती है, ज़ीरो तीन सौ एक दो तीन पच्चीस, छब्बीस, यह क्या नाम पता हुआ भला, ख़ैर सबका अपना अपना अंदाज़ है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, हाँ बुरा मुझे तब लगता है जब लोग अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ कर मुझे इस्तेमाल करते हैं, जब इन्सान आपके साथ हों तो आपके समय पर इन्सानों का हक़ है उनसे बात करें उनहें समय दें, जब कोई बात कर रहा हो तो मुझे छोड़ कर उसकी बात सुनें, उसको अहमियत दें, मैं कोई गोंद थोड़ी हूँ जो मुझ से चिपके तो चिपक ही गए, ऐसे चिपकू लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, इन्सानों की क़द्र करें, मेरा विकल्प तो मिल जायेगा मगर आपके आस पास के इन्सानों का कोई विकल्प नहीं, इसका ख़्याल रखें, ख़ुश रहें ख़ुशियाँ बाटें।

❖❖❖

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया–

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 से शुरु होने वाले हर साल इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। 193 सदस्सीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव, संगठन की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा पेश किया गया था। इस्लामिक सहयोग (OIC) 15 मार्च, 2022 को। यह उस दिन को चिह्नित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड में दो मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 51 नमाज़ी मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए।

तुर्की में दुनिया के सबसे लम्बे सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटनः–

राष्ट्रपति तैय्यब एर्दोगान ने शुक्रवार को तुर्की के डार्डानेल्स जलडमरूमध्य में एक विशाल निलंबन पुल खोला, जो प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला में नवीनतम है, जिसे उन्होंने सत्ता में अपने दो दशकों के दौरान प्राथमिकता दी है। तुर्की के यूरोपीय और एशियाई तटों को जोड़ने वाला, 1915 कानाक्कल ब्रिज तुर्की और दक्षिण कोरियाई फर्मों द्वारा 2.5 बिलियन यूरो (2.8 बिलियन डॉलर) के निवेश से बनाया गया था। दुनिया के किसी भी सस्पेंशन ब्रिज की तुलना में इसका मुख्य स्पैन दो टावरों के बीच की दूरी सबसे लम्बा है।

भारत में हज 2022 की प्रक्रिया 100 फीसदी होगी डिजिटलः–

मुम्बई यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भारत में 2022 में हज का पूरा अमल 100 फीसदी डिजिटल होगा, नकवी ने मुम्बई में हज हाउस में ऑनलाइन बुकिंग केन्द्र का शनिवार को उदघाटन किया और बाद में एक बयान में कहा कि इंडोनेशिया के बाद बससे ज़ियादा तादाद में हज यात्री भारत से भेजे जाते हैं।

इंडोनेशिया में भूकंम के तेज झटकेः–

इंडोनेशिया की धरती भूकंप के तेज झटकों से हिल उठी, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बज कर 53 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6 मापी गई है। सुबह–सुबह भूकंप के तेज झटकों से अफरा–तफरी मच गई, लोग घरों से बाहर निकल आए।

इंडोनेशिया भूकंप को ले कर बेहद संवेदनशील इलाक़ा माना जाता है। समय समय पर भूकंप के तेज झटकों से यहां व्यापक स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। 2004 में भूकंप के तेज झटकों के बाद आई सुनामी की लहर ने यहां बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी।

❖❖❖

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳۔ ٹیگور مارگ
لکھنؤ۔ ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 25/12/2021 ____ تاریخ ____

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुलउलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्ड़िंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़ियादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।
नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/— (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

हमें अल्लाह तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि उसकी मदद से यह काम मुकम्मल होगा।

मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा—ए—करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **7275265518** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
—:तअ़मीरः—
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

RNI No. UPHIN/2002/0795
Regd. No. SSP/LW/NP-491/2021 To 2023
Dispatch Date :1 & 5
Published of 27th Advance Month
Dispatch: R.M.S Charbagh, Lucknow

MONTHLY
SACHCHA RAHI
Vol. 21 - Issue 04

Office Timing : 7:30 AM To 1:15PM
Tel.:(0522) 2740406
ISSN No. : 2582-4007
http://sachcha-rahi.nadwa.in
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com

RK JEWELLERS
Renowned Name in Jewellery

Haji Abdul Rauf Khan
Haji Mohd. Faheem Khan
Mohd. Owais Khan

Shop : Sarai Bans, Akbari Gate,
Chowk, Lucknow - 226003
Ph.: 0522-2267910
+91-9415108039

R.K. Clinic Research CENTRE

R. K. CLINIC
& RESEARCH CENTRE

Dr. Mohammad Fahad Khan
M.D.

विशेषज्ञ

पेट एवं उदर रोग, श्वास एवं चेस्ट रोग, एण्ड्रोक्रायोनोलोजी एवं मधुमेह रोग

24 HOURS EMERGENCY SERVICES AVAILABLE

G-1, Aman Apartments, Chaupatiyan, Opp. Power House, Lucknow
Ph.: 0522-2651950, 9415006983